सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में
2020-21

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार

लेखे एक दृष्टि में
वर्ष 2020-21 के लिए

प्रधान महालेखाकार
(लेखा व हकदारी)
जम्मू एवं कश्मीर

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार

प्राक्कथन

वर्ष 2020-21 हेतु हमारे वार्षिक प्रकाशन 'लेखे एक दृष्टि में' प्रथम अंक को प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, जो कि सरकार की गतिविधियों का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसे कि वित्त लेखा और विनियोग लेखा में परिलक्षित होता है।

वित्त लेखा, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और संघ शासित क्षेत्र सरकार के लोक लेखा के अधीन लेखाओं का सारांश विवरण होता है। विनियोग लेखा संसद द्वारा स्वीकृत प्रावधानों के प्रति अनुदान वार व्यय का अभिलेख करता है और आबंटित निधियों और वास्तविक व्यय के मध्य विभिन्नताओं की व्याख्या को दर्शाता है।

वित्त और विनियोग लेखा को संघ शासित क्षेत्र के विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) के निदेशन में नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा की आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिक रूप से मेरे कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। तथापि, जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के विधानमंडल का गठन अब तक नहीं किया गया है। अत:, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय (22 जून 1994) के अनुरूप वार्षिक लेखा को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

हम सुझावों का स्वागत करते हैं।

(डॉ. अभिषेक गुप्ता)
प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू
दिनांक: 12 अप्रैल 2022

हमारी दूरदर्शिता, लक्ष्य और बुनियादी मूल्य

दूरदर्शिता

(हम जो बनना चाहते है वो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की संस्था की दूरदर्शिता चित्रित करती है।)

हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा और लेखा में एक वैश्विक मार्गदर्शन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के सर्जक बनने का प्रयास करते है और सार्वजनिक वित्त और शासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और समय पर रिपोर्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त है।

लक्ष्य

(हमारा मिशन हमारी वर्तमान भूमिका को व्यक्त करता है और हमारे वर्तमान कार्यों को वर्णित करता है।)

भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य, हम उच्च गुणवत्ता की लेखा परीक्षा और लेखांकन के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने हितधारकों यथा विधानमण्डल, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि सार्वजनिक निधियों का उपयोग कुशलतापूर्वक और इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

बुनियादी मूल्य

(हमारे बुनियादी मूल्य हमारे सभी कृत्यों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तम्भ हैं और हमें अपने प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए मानदंड देते है।)

- स्वतंत्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक उत्कृष्ठता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय I	विहंगावलोकन	
1.1	परिचय	1
1.2	सरकारी लेखों की संरचना	2
1.3	वित्त लेखा और विनियोग लेखा	4
1.4	निधियों के स्त्रोत और अनुप्रयोग	6
1.5	वर्ष 2020-21 की वित्तीय विशिष्टता	9
1.6	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम)/एमटीएफपी अधिनियम, 2006	10
अध्याय II	प्राप्तियाँ	
2.1	परिचय	14
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	14
2.3	कर राजस्व	16
2.4	सहायता अनुदान	17
2.5	लोक ऋण	18
अध्याय III	व्यय	
3.1	परिचय	19
3.2	राजस्व व्यय	20
3.3	पूंजीगत व्यय	23
3.4	नियोजित और अनियोजित व्यय	24
अध्याय IV	विनियोग लेखे	
4.1	वर्ष 2020-21 हेतु विनियोग लेखों का सारांश	25
4.2	बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	25
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	26

पृष्ठ संख्या

अध्याय V	परिसंपत्तियाँ और देयताएं	
5.1	परिसम्पत्तियाँ	27
5.2	ऋण और देयताएँ	29
5.3	प्रतिभूतियाँ	30
अध्याय VI	अन्य मदें	
6.1	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	32
6.2	स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता	32
6.3	रोकड़ शेष	33
6.4	लेखों का मिलान	34
6.5	लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाइयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	34
6.6	परामर्श बिना नए उप शीर्षों/ विस्तृत लेखा शीर्षों को खोलना	34
6.7	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	34
6.8	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिल	34
6.9	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत बुकिंग	35
6.10	राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव	36
6.11	सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति देयताएं	36
6.12	पीएसयू को दिए गए अनुदान/ ऋण जहाँ लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया	36
6.13	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति	37
6.14	पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय	37
6.15	प्रतिपूरक वनरोपण निधि	37
6.16	विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का हस्तांतरण	37
6.17	पाँच वर्ष और अधिक अवधि की अपूर्ण परियोजनाएं	38
6.18	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के बैंक खातों में रखी हुई अव्ययित राशि	38
6.19	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज	39
6.20	आकस्मिकता निधि	39
6.21	पुनर्गठन के परिणामस्वरूप शेषों का आबंटन	39
6.22	नवीन पेंशन योजना	39
6.23	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर	40
6.24	अन्य उपकर	40
6.25	ब्लॉक अनुदानों को शामिल न करते हुए केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)/ अतिरिक्त केंद्रीय	40
6.26	उचंत शेषों की स्थिति	41
6.27	लेखांकन मापदण्डों सहित अनुपालन	41

अध्याय 1

विहंगावलोकन

1.1 परिचय

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), जम्मू एवं कश्मीर बहु अभिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखा आँकड़ो को क्रमवार, वर्गीकृत और संकलन करता है और जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार के लिए लेखा को तैयार करता है। यह संकलन 121 कोषागारों जिनमें 20 जिला कोषागार भी सम्मिलित है, के द्वारा प्रदान किए गए प्रारम्भिक लेखा, अन्तर राज्य संव्यवहारों और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर आधारित होता है। इस संकलन का अनुकरण करते हुए, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा प्रत्येक माह एक मासिक सिविल लेखा (एमसीए) को जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) वार्षिक वित्त लेखा और विनियोग लेखा को भी तैयार करता है, जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) जम्मू एवं कश्मीर द्वारा लेखा परीक्षा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि, जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के विधानमण्डल का अब तक (जनवरी 2022) गठन नहीं हुआ है और एक वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन है। अत: आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय (22 जून 1994) के अनुसार वर्ष 2020-21 हेतु जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के वार्षिक लेखा को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

1.2 सरकारी लेखों की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखो को निम्नलिखित तीन भागों में अनुरक्षित किया जाता है:

सरकारी लेखों का संरचना

भाग 1
समेकित निधि

सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व में कर और गैर-कर राजस्व, लिए गए ऋण और समेकित निधि से दिए गए ऋणों की चुकौती (उन पर ब्याज सहित) सम्मिलित है।

सरकार के सभी व्यय और संवितरण, ऋणों को जारी करना और लिए गए ऋणों की चुकौती (तथा उन पर ब्याज), इसी निधि से पूरे किए जाते है।

भाग 2
आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय की प्रकृति में, विधानसभा द्वारा अनुमोदन के विचारधीन,आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु है। ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति बाद में समेकित निधि से की जाती है।

जम्मू तथा कश्मीर सरकार के लिए इस निधि का कॉर्पस ₹ एक करोड़ है।

भाग 3
लोक लेखे

लोक लेखो में ऋण (भाग 1 में सम्मिलित ऋणों के अतिरिक्त) जमा, अग्रिम, प्रेषण तथा उचंत से संबंधित संव्यवहार को रिकॉर्ड किया जाता है। इस भाग में ऐसे ऋण, जमा तथा अग्रिम सम्मिलित हैं जिनके संबंध में सरकार धन वापिस देने का दायित्व लेती है अथवा भुगतान की गई राशियों को वसूल करने का दावा कर सकती है (ऋण तथा जमा की अदायगीओं और अग्रिमों की वसूली सहित)।प्रेषित तथा उचंत केवल समायोजन शीर्ष हैं जिनमें कोषागारों और मुद्रा चेस्ट के बीच नगदी के प्रेषण तथा विभिन्न लेखा सर्किल के बीच हस्तांतरण प्रकट होते हैं। इन शीर्षों में प्रारम्भिक डेबिट तथा क्रेडिट का निपटान, या तो उसी लेखा सर्किल में या फिर किसी दूसरे लेखा सर्किल में तदनुरूपी प्राप्ति अथवा भुगतान द्वारा किया जाता है।

1.2.2 लेखों का संकलन

लेखों के संकलन हेतु फ्लो डायग्राम

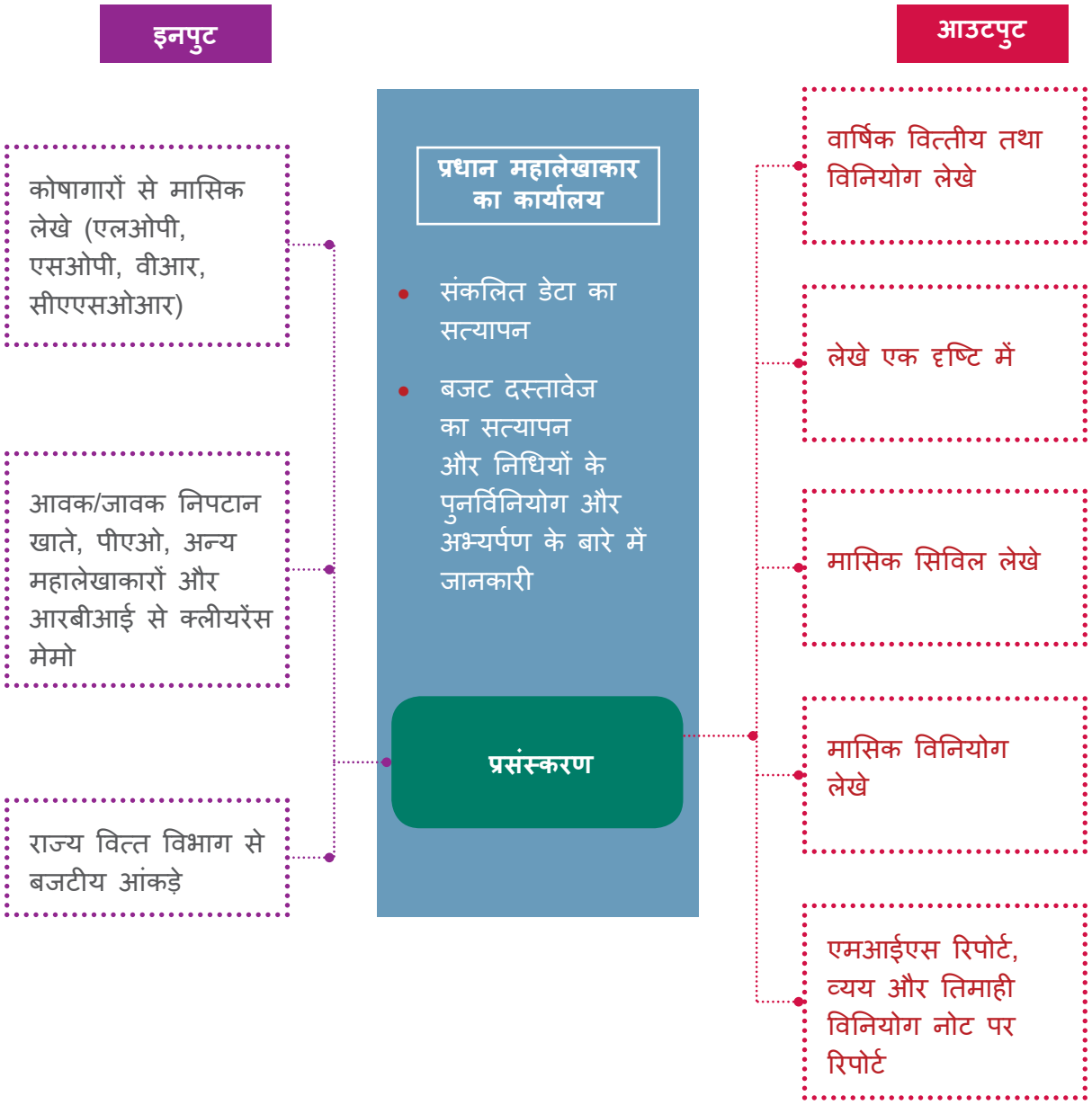

1.3 वित्त लेखा और विनियोग लेखा

1.3.1 वित्त लेखा

वित्त लेखा वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों, के साथ राजस्व और पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों, लेखाओं में अभिलेखित लोक ऋणों और लोक लेखा शेषों को भी दर्शाता है। वित्त लेखा को और अधिक व्यापक और सूचनापद बनाने के लिए इसे दो खण्डों में तैयार किया जाता है। वित्त लेखा के खण्ड-I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र निहित रहता है, जिसमे सारांश रूप में सारी प्राप्तियाँ और संवितरण (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण और अग्रिम एवं लोक ऋण), निवेश, प्रत्याभूतियाँ, सहायता अनुदान और 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' में महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखा गुणवत्ता और अन्य मदों का सारांश निहित होता है; खण्ड-II में ब्योरेवार विवरण (भाग-1) और परिशिष्ट (भाग-2) होते है।

वर्ष 2020-21 हेतु जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार की प्राप्तियाँ और संवितरण और वित्त लेखा में इसके परिणामस्वरूप अधिशेष/ कमी इस प्रकार है:

वर्ष 2020-21 में प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ 63,191	राजस्व	**कर राजस्व**	**8,877**
		(क) स्वयं का कर राजस्व	8,877
		(ख) करों की निवल प्राप्तियों का अंश	-
		गैर-कर राजस्व	**4,077**
		सहायता अनुदान	**39,542**
	पूंजीगत	**ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ**	**02**
		उधारियाँ तथा अन्य देयताएं*	**10,693**
		अन्य प्राप्तियाँ	**-**
संवितरण 63,191	**राजस्व**		**52,634**
	पूंजीगत		**10,470**
	ऋण और अग्रिम		**62**
	आकस्मिकता निधि को हस्तांतरण		**25**
	राजस्व घाटा		**138**
	राजकोषीय घाटा		**10,693**
	प्राथमिक घाटा		**4,321**

* *उधारियां तथा अन्य देयताएँ: निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) सार्वजनिक ऋण+निवल आकस्मिक निधि+निवल (प्राप्तियां-संवितरण) लोक लेखा+निवल आदि तथा अन्त: नकद शेष*

वर्ष 2020-21 में प्राप्तियां और संवितरण

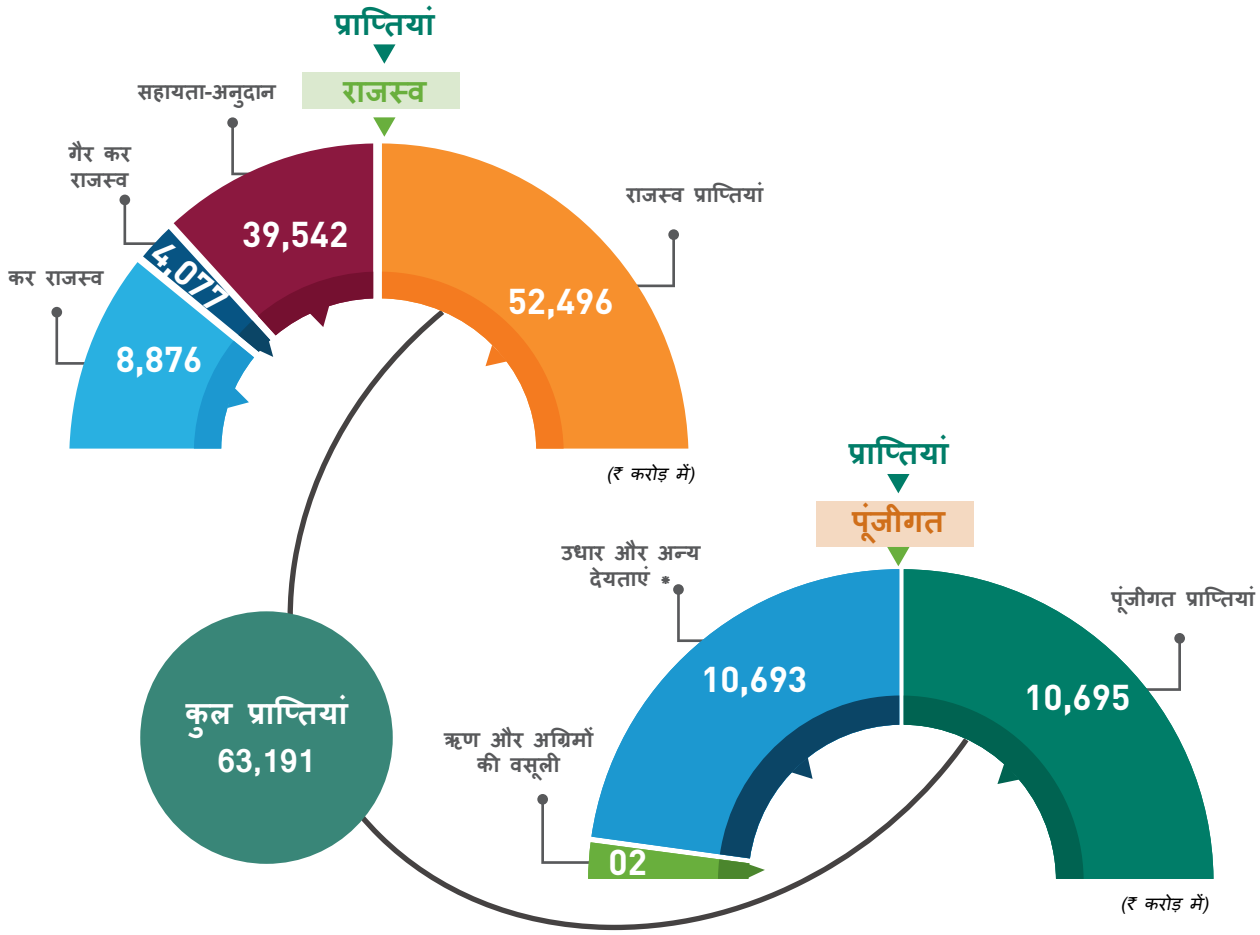

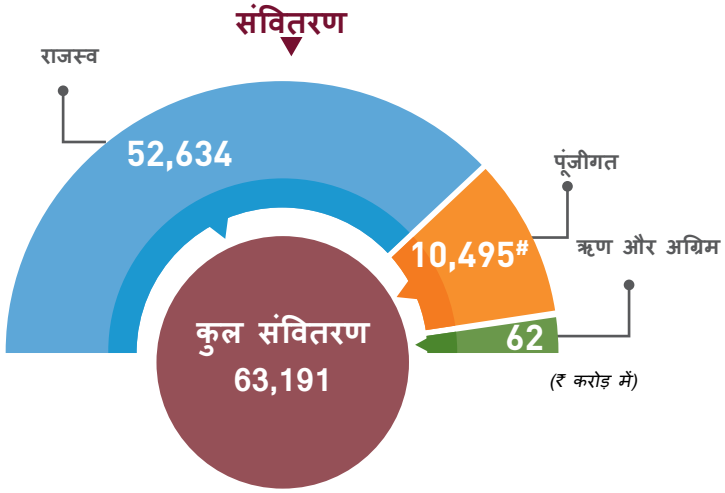

** उधारियाँ तथा अन्य देयताएः निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) सार्वजनिक ऋण + आकस्मिक निधि का निवल + निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक लेखा + निवल अथ तथा अंत: नकद शेष*

 # समेकित निधि को ऋण द्वारा आकस्मिकता निधि (कॉर्पस) को हस्तांतरित ₹ 25.00 करोड़ राशि सम्मिलित है

1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सिवाय विधानमण्डल के प्राधिकार सहित कोई व्यय नहीं किया जा सकता। संविधान में स्पष्ट उल्लिखित निश्चित व्ययों को छोड़ कर जैसे कि समेकित निधि पर "प्रभारित व्यय", जिन्हें विधानमण्डल के मत के बिना किया जा सकता है, अन्य सभी व्यय को मतदान अपेक्षित है। जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार के बजट में अनुदान हेतु प्रभारित विनियोग और दत्तमत अनुदानों को प्रतिबिम्बित करते हुए 36 मांग निहित है। विनियोग लेखे का उद्देश्य उस सीमा को इंगित करना होता है जिसमें प्रत्येक वर्ष के विनियोग अधिनियम द्वारा विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत विनियोग के साथ वास्तविक व्यय का संकलन किया जाता है।

1.3.3 बजट तैयारी की दक्षता

वर्ष 2020-21 के दौरान संसद द्वारा संस्वीकृत बजट के प्रति संघ शासित क्षेत्र सरकार के वास्तविक सकल व्यय ने ₹36,809 करोड़ (28 प्रति शत) की बचत को दर्शाया और व्यय की कमी पर आंकलन के अंतर्गत ₹98 करोड़ (76 प्रतिशत) को दर्शाया। निश्चित अनुदान जो योजना, विद्युत विकास, विधि, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण, पर्यटन, जनजातीय मामले, इत्यादि ने इस अवधि के दौरान पर्याप्त बचत को दर्शाया।

1.4 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

न्यूनतम रोकड़ शेष में कमी को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम को लिया जाता है जिन्हें संघ शासित क्षेत्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखना होता है। वर्ष 2020-21 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को दिया गया कुल अर्थोपाय अग्रिम ₹24,007 करोड़ था, अर्थोपाय अग्रिम के कारण ₹188 करोड़ की सीमा तक बकाया शेष था, जिसमे से सरकार ने ₹23,479 करोड़ की पुन: अदायगी की। अत:, 31 मार्च 2021 को ₹716 करोड़ का बकाया शेष रहा। 30 अक्टूबर 2019 को ₹692 करोड़ का भी बकाया शेष था जिसे अभी भी आनुक्रमिक जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

ओवरड्राफ्ट को भारतीय रिजर्व बैंक से लिया जाता है जबकि न्यूनतम रोकड़ शेष की सीमा जो कि ₹1.14 करोड़ है से, अर्थोपाय अग्रिम लेने के पश्चात भी नीचे गिर जाती है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखना अपेक्षित है। वर्ष 2020-21 के दौरान 31 मार्च 2020 को ₹107 करोड़ के बकाया ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त, ₹6,793 करोड़ के ओवरड्राफ्ट भी लिए गए, जिनमें से ₹5,831 करोड़ को उक्त अवधि के दौरान चुकाया गया। अत:, 31 मार्च 2021 को ₹1,069 करोड़ का बकाया शेष था।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरण

वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र को ₹138 करोड़ का राजस्व घाटा और ₹10,693 करोड़ का राजकोषीय घाटा था। राजकोषीय घाटे ने जीएसडीपी के 6.07 प्रति शत का निर्माण किया {₹1,76,282 करोड़ जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (26 अप्रैल 2021) द्वारा उपलब्ध कराया गया है}। यह राजकोषीय घाटा (i) आंतरिक ऋण (₹7,005 करोड़ की बाजार उधारियां, वित्तीय संस्थानों से ऋण), (ii) केंद्र सरकार से ₹2,164 करोड़ के ऋण व अग्रिम (iii) ₹1,144 करोड़ लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि से (iv) ₹582 करोड़ जमा और अग्रिमों से (v) ₹25 करोड़ आकस्मिकता निधि (vi) ₹584 करोड़ ऋण शोधन और आरक्षित निधियां (vii) (-)₹82 करोड़ उचंत और विविध (viii) (-) ₹764 करोड़ प्रेषण और (ix) ₹35 करोड़ रोकड़ शेष में कमी से पूरा किया गया। संघ शासित क्षेत्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹52,496 करोड़) का लगभग 74.86 प्रति शत प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹23,850 करोड़), पेंशन अदायगियाँ (₹9,078 करोड़) और ब्याज अदायगियाँ (₹6,372 करोड़) पर खर्च किया गया।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

निधियां

1 अप्रैल 2020 को अथ रोकड़ शेष	1,482
राजस्व प्राप्तियाँ	52,496
पूंजीगत प्राप्तियाँ	-
ऋण और अग्रिमों की वसूली	02
लोक ऋण	42,733
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	5,968
आरक्षित निधि तथा निक्षेप निधियाँ	791
प्राप्त जमा	3,427
चुकाए गए सिविल अग्रिम	-
उचंत लेखा*	12,655
प्रेषित धन	1,992
कुल	1,21,546

अनुप्रयोग

राजस्व व्यय	52,634
पूंजीगत व्यय	10,470*
प्रदत्त ऋण	62
लोक ऋणों की पुन:अदायगी	33,563
लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	4,824
आरक्षित निधि तथा निक्षेप निधियाँ	207
चुकाई गई जमा	2,845
चुकाए गए सिविल अग्रिम	-
उचंत लेखा#	12,737
प्रेषित धन	2,756
31 मार्च 2020 तक अंत: रोकड़ शेष	1,448
कुल	1,21,546

** समेकित निधि को ऋण द्वारा आकस्मिकता निधि (कॉर्पस) को हस्तांतरित ₹25.00 करोड़ राशि सम्मिलित नहीं है।*

 # उचंत लेखा में सम्मिलित खजाना बिलों और विभागीय शेषों के संवितरण और स्थायी नकद अग्रदाय में ₹11,904 करोड़ निवेश किए गए जिसे "अनुप्रयोग" के एक ओर दर्शाया गया है और ₹11,904 करोड़ के मूल्य के खजाना बिलों को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विक्रय किया गया (एक प्रक्रिया जिसे "रि-डिस्काऊंटिंग" नाम से जाना जाता है) और विभागीय शेष में प्राप्ति और स्थायी अग्रदाय जो कि "स्रोत" की ओर दर्शाया गया है।

1.4.4 रुपया कहाँ से आया

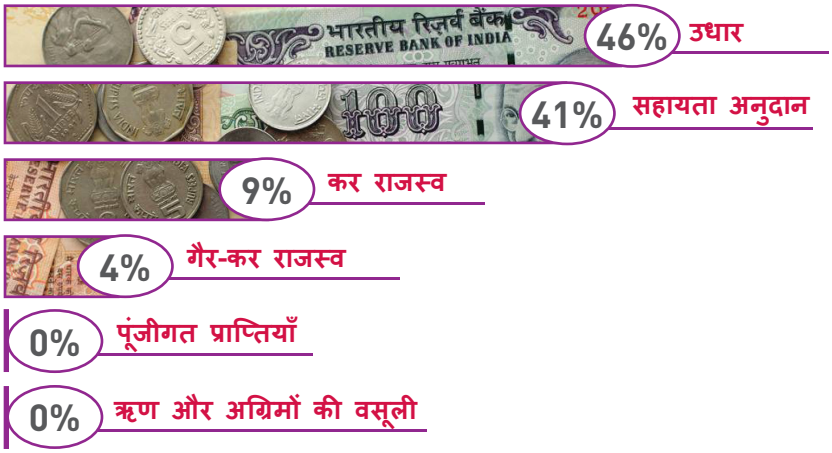

* केवल ₹2 करोड़ नगण्य

1.4.5 रुपया कहां गया

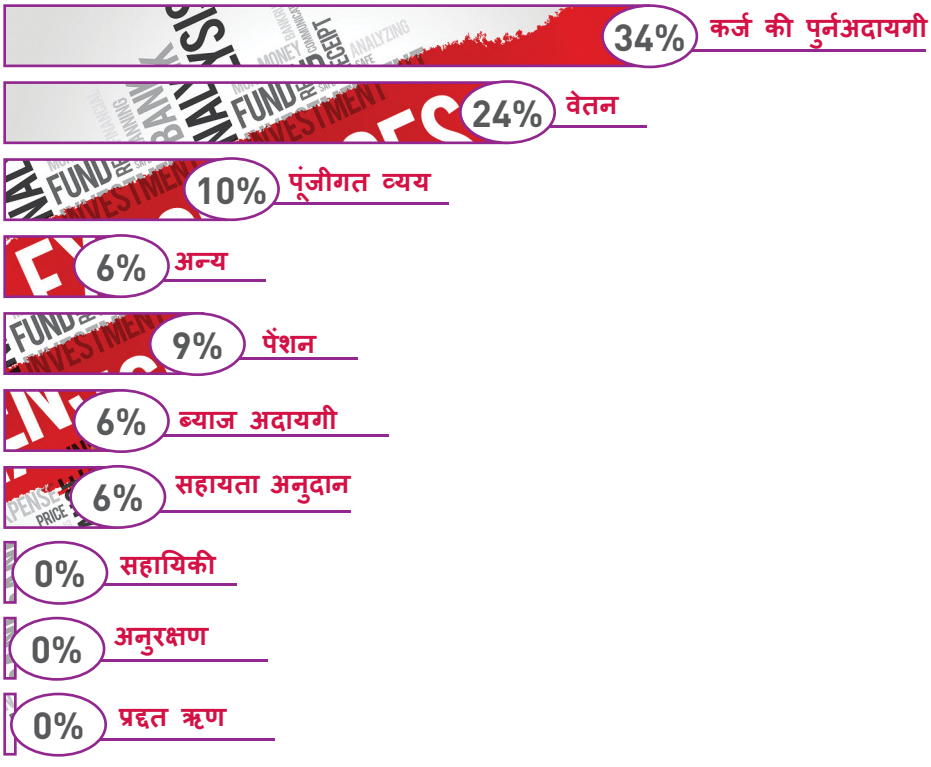

नगण्य (सहायिकियां ₹0.17 करोड़, अनुरक्षण ₹340 करोड़ और दिए गए ऋण ₹69 करोड़ मात्र)

1.5 वर्ष 2020-21 की वित्तीय विशिष्टता

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) हेतु सभी सहायताओं को भारत सरकार के निर्णय अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित न करके संघ शासित सरकार की समेकित निधि द्वारा हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। तथापि, महानिदेशक लेखा (सीजीए) के पोर्टल लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ने जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित सरकार के विभिन्न विभागों को ₹917.68 करोड़ की निधियाँ प्रत्यक्ष रूप से निर्मोचित की।

उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न स्वायत्त निकायों, केन्द्र सरकार के संगठनों, सोसाइटियों इत्यादि ने केन्द्र सरकार से सीधे ही ₹1,843.51 करोड़ प्राप्त किये हैं।

विवरण खण्ड-II के परिशिष्ट-VI में दिया गया है।

निम्नलिखित सारणी वर्ष वास्तविक वित्तीय परिणामों के विवरण के साथ-साथ वर्ष 2020-21 हेतु बजट आंकलन भी प्रदान करती है।

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	ब्योरा	बजट आंकलन 2020-21	वास्तविक	बीई को वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी को वास्तविक का प्रतिशत *
1.	कर राजस्व (केंद्रीय अंश सम्मिलित करते हुए)	34,441	8,877	26	05
2.	गैर-कर राजस्व	4,065	4,077	100	02
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	52,594	39,542	75	22
4.	*राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)*	**91,110**	**52,496**	**58**	**29**
5.	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	89	02	02	**
6.	अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7.	उधारियाँ और अन्य देयताएं	10,240	10,693	^	06
8.	*पूंजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)*	**10,329**	**10,695**	**^**	**06**
9.	*कुल प्राप्तियाँ (4+8)*	**1,01,429**	**63,191**	**62**	**35**
10	राजस्व व्यय	62,665	52,634	84	29
11.	ब्याज भुगतान पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	6,891	6,372	92	03
12.	पूंजीगत व्यय	38,656	10,470	27	06
13.	*संवितरित ऋण और अग्रिम*	**108**	**62**	**57**	**
14.	*आकस्मिकता निधि को हस्तांतरण*	**-**	**25**	**एनए**	**
15.	*कुल व्यय (10+12+13)*	**1,01,429**	**63,191**	**62**	**35**
16.	*राजस्व अधिशेष (+)/घाटा(-) (4-11)*	**(+)28,445**	**(-)138**	**^**	**
17.	*राजकोषीय घाटा (4+5+6-10)*	**10,329**	**10,693**	**^**	**06**

** ₹1,76,282 करोड़ जैसा कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन की वेब-साइट पर उपलब्ध (26.04.2021)।*

*** नगण्य*

एनए: लागू नहीं

^ 100 प्रतिशत से अधिक

कमी और आधिक्य क्या इंगित करते हैं?

कमी

कमी से तातत्पर्य राजस्व तथा व्यय के बीच अन्तर से है। कमी का प्रकार कि कमी को केसे वित्तपोषित किया जाता है, तथा निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय प्रबंधन की समझदारी के मुख्य सूचक है।

राजस्व कमी/ आधिक्य

से तात्पर्य राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के बीच अन्तर से है। राजस्व व्यय सरकार की मौजूदा स्थापनाओं को अनुरक्षित रखने के लिए अपेक्षित है तथा आदर्शत: इसे राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिए।

राजकोषीय घाटा/ आधिक्य

से तात्पर्य कुल प्राप्तियों (उधारियों को छोड़कर) तथा कुल व्यय के बीच अन्तर से है। इसलिए यह अन्तर उस सीमा को दर्शाता है जिस तक व्यय को उधारियों से वितपोषित किया जाता है। आदर्शत: उधारियों का पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

1.6 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम)/ एमटीएफपी अधिनियम, 2006

सरकार के राजकोषीय निष्पादन का आंकलन करने के लिए कमी संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन प्रमुख मानदण्ड है। जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम)/ एमटीएफपी अधिनियम, 2006 राज्य सरकार से इसके राजकोषीय घाटा को सीमित करने और इसके कर्ज प्रबंधन को वहनीय स्तर तक रखने के इसके राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमत्ता को सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है। यह राजकोषीय क्रियाकलापों में और अधिक पारदर्शिता की भी अपेक्षा करता है।

जम्मू एवं कश्मीर एफआरबीएम/एमटीएफपी नियमावली ने केवल (क) कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा (ख) जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा और (ग) जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में कुल बकाया देयताओं हेतु वार्षिक लक्ष्य का उल्लेख किया।

1.6.1 एफआरबीएम/एमटीएफपी लक्ष्यों के साथ-साथ उपलब्धियां

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा अगस्त 2009, में पारित जम्मू एवं कश्मीर एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, उत्तराधिकारी जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार ने वर्ष 2020-21 हेतु संघ शासित बजट के साथ मध्यावधि राजकोषीय नीति और रणनीति ब्योरे को संसद में (मार्च 2021) प्रस्तुत किया। वर्ष 2020-21 हेतु किसी राजकोषीय संकेतकों-रोलिंग लक्ष्यों को उल्लिखित नहीं किया गया। तथापि, वर्ष 2020-21 के लेखाओं के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार के राजकोषीय मापदण्ड निम्न प्रकार थे:

क्रम संख्या	मापदण्ड	लेखा और जीएसडीपी के अनुसार वर्ष के दौरान उपलब्धियां*
1	राजस्व घाटा	लेखाओं के अनुसार वर्ष 2020-21 हेतु जीएसडीपी का 0.08 प्रति शत ₹ 138.27 करोड़ का राजस्व घाटा था।
2	राजकोषीय घाटा	लेखाओं के अनुसार वर्ष 2020-21 हेतु जीएसडीपी का 6.07 प्रति शत ₹ 10,693.36 करोड़ का राजकोषीय घाटा था।
3	बकाया लोक ऋण# और अन्य देयताएं	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021(30 अक्टूबर 2019 तक लोक ऋण और अन्य देयताओं को छोड़कर ₹ 83,536.36 करोड़ बकाया थे जिन्हें अभी भी उत्तराधिकारी संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित करना है।) बकाया लोक ऋण# और अन्य देयताएं (₹ 14,880.47# करोड़) जीएसडीपी का 9.63 प्रति शत थी।

 # कर्ज में ₹ 2,099.80 करोड़ सम्मिलित नहीं जिसे भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या एफ.संख्या 40(1) पीएफ-एस/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021 के माध्यम से जीएसटी क्षतिपूर्ति के स्थान पर एक के बाद एक ऋणों को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया।

बकाया कर्ज सभी कर्जों और अन्य देयताओं को सम्मिलित करते हुए (जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के स्थान पर ₹2,099.80 करोड़ को छोड़ते हुए)

₹251 करोड़ के राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति के कारण पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, परिभाषित अंशदायी पेंशन निधि में लघु अंशदान और राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि/ जमा पर ब्याज की अदायगी न होने के कारण, वर्ष 2020-21 के दौरान ₹138 करोड़ की बजाय ₹390 करोड़ का वास्तविक राजस्व घाटा था जैसा कि लेखाओं में दर्शाया गया था। ₹61 करोड़ तक की राजस्व न्यूनोक्ति के कारण जैसा कि संघ शासित क्षेत्र के लघु अंशदान और राजकोषीय घाटा के ब्याज को भी उस सीमा तक न्यूनोक्त दर्शाया गया है।

1.6.2 राजस्व अधिशेष/ कमी और राजकोषीय घाटा का प्रवाह

राजस्व अधिशेष/ कमी का प्रवाह

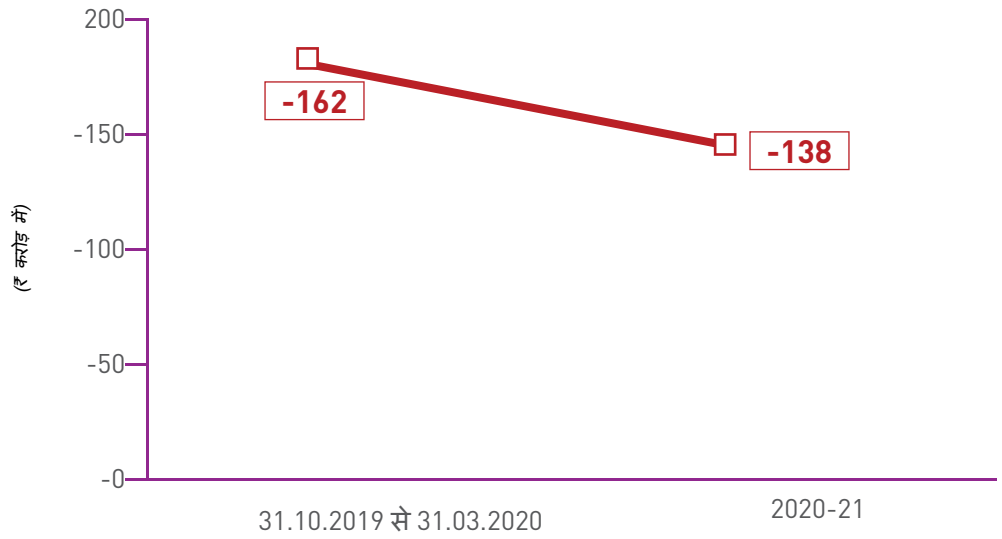

राजकोषीय घाटे का प्रवाह

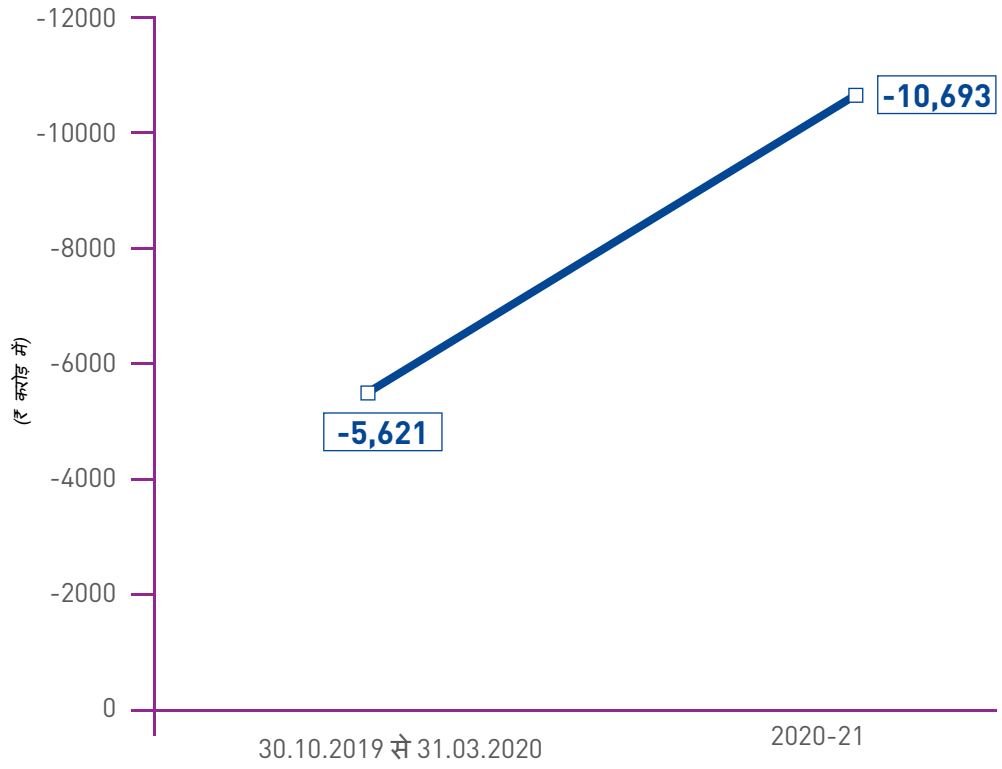

1.6.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधियों का समानुपात

उधार निधियां और पूंजीगत खर्च

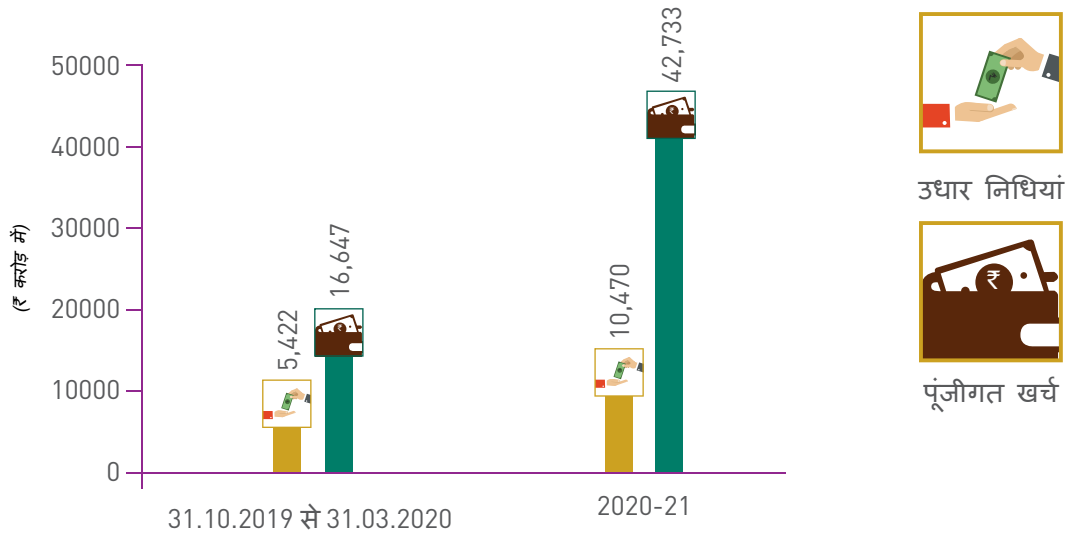

बुद्धिमत्तापूर्ण वित्तीय प्रबंधन अपेक्षा करता है कि धन को केवल पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु उधार लिया जाए और एतदद्वारा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन और ब्याज की पुन: अदायगी हेतु किया जाए। तथापि, लोक ऋण (₹32,263 करोड़) का 75 प्रतिशत का उपयोग पिछले वर्षों के लोक ऋण के मूलधन और ब्याज की पुन: अदायगी हेतु किया गया। संघ शासित क्षेत्र सरकार ने वर्तमान वर्ष (₹42,733 करोड़) के उधार के 25 प्रतिशत को पूंजीगत (₹10,470 करोड़) व्यय पर खर्च किया गया। इस राशि में ₹190 करोड़ का गलत वर्गीकृत राजस्व व्यय सम्मिलित है। इस राशि को देखते हुए, पूंजीगत व्यय पर खर्च किया गया उधार का प्रतिशत आगे 24 प्रतिशत तक गिर गया।

अध्याय 2

प्राप्तियाँ

2.1 परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्राप्तियाँ ₹52,496 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

रकार की राजस्व प्राप्तियों के तीन घटक जैसे कर राजस्व, गैर कर राजस्व और केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान निहित होते है।

कर राजस्व

संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अंतर्गत केंद्रीय करों के राज्य और राज्य के अंश द्वारा संग्रहित और प्रतिधारित किए गए कर सम्मिलित है।

गैर-कर राजस्व

ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ, रॉयल्टी ई त्यादि सम्मिलित है।

सहायता-अनुदान

मूलतः, केंद्र सरकार से राज्य सरकार को केंद्रीय सहायता का एक रूप विदेशी स्रोतों से प्राप्त "बाहरी अनुदान सहायता" भी सम्मिलित है और केंद्र सरकार के माध्यम से चैनललाईज़ किया गया है। इसके बदले में राज्य सरकार नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों आदि संस्थानों को सहायता-अनुदान भी देती है।

राजस्व प्राप्तियाँ

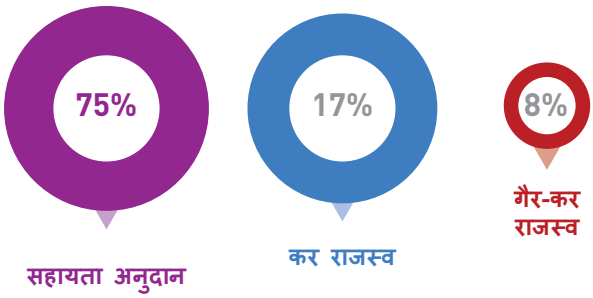

2.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ घटक 2020-21

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक
*क. कर राजस्व**	**8,877**
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	4,839
आय और व्यय पर कर	-
सम्पत्ति व पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	386
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	3,652
ख. गैर-कर राजस्व	**4,077**
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	18
सामान्य सेवाएं	96
समाज सेवाएं	177
आर्थिक सेवाएं	3,786
ग. सहायता-अनुदान और अंशदान	**39,542**
कुल-राजस्व प्राप्तियाँ	**52,496**

** वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार को सौंपे गए निवल आगमों का कोई अंश संघ शासित सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।*

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का प्रवाह

(₹ करोड़ में)

घटक	**31.10.2019 से 31.03.2020 तक**	**2020-21**
कर राजस्व	4,056	8,877
गैर-कर राजस्व	2,063	4,077
सहायता अनुदान	16,432	39,542
कुल-राजस्व प्राप्तियाँ	**22,557**	**52,496**
वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी*	**लागू नहीं**	**1,76,282**

स्रोत:

** संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि हेतु जीएसडीपी को उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2020-21 हेतु ₹1,76,282 करोड़ जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (26.04.2021) की वेब-साइट पर उपलब्ध है।*

राजस्व प्राप्तियों के घटकों का प्रवाह

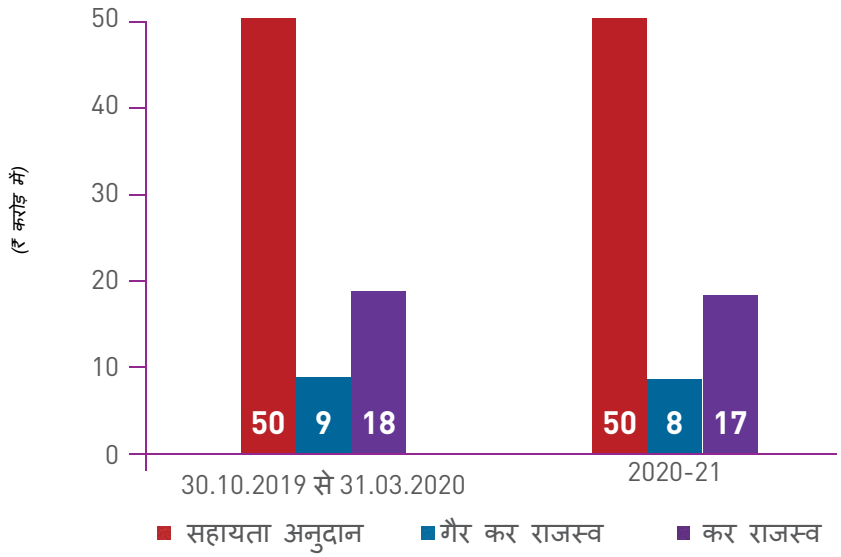

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

घटक	31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	2,115	4,839
आय और व्यय पर कर	-	-
सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	166	386
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	1,775	3,652
कुल कर राजस्व	**4,056**	**8,877**

2.4 सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

कर	31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21
संघ शासित क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर	2,115	4,839
भू-राजस्व	48	61
स्टाम्प और पंजीकरण	118	326
राज्य उत्पाद शुल्क	588	1,347
बिक्री कर	782	1,496
वस्तु और यात्रियों पर कर	158	01
वाहनों पर कर	246	488
अन्य कर	01	319
कुल कर राजस्व	4,056	8,877

संघ शासित क्षेत्र को सहायता अनुदान (जीआईए), केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु समाविष्ट अनुदानों और नीति आयोग द्वारा स्वीकृत संघ शासित क्षेत्र को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता का प्रतिधित्व करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान सहायता अनुदानों के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ ₹39,542 करोड़ थी।

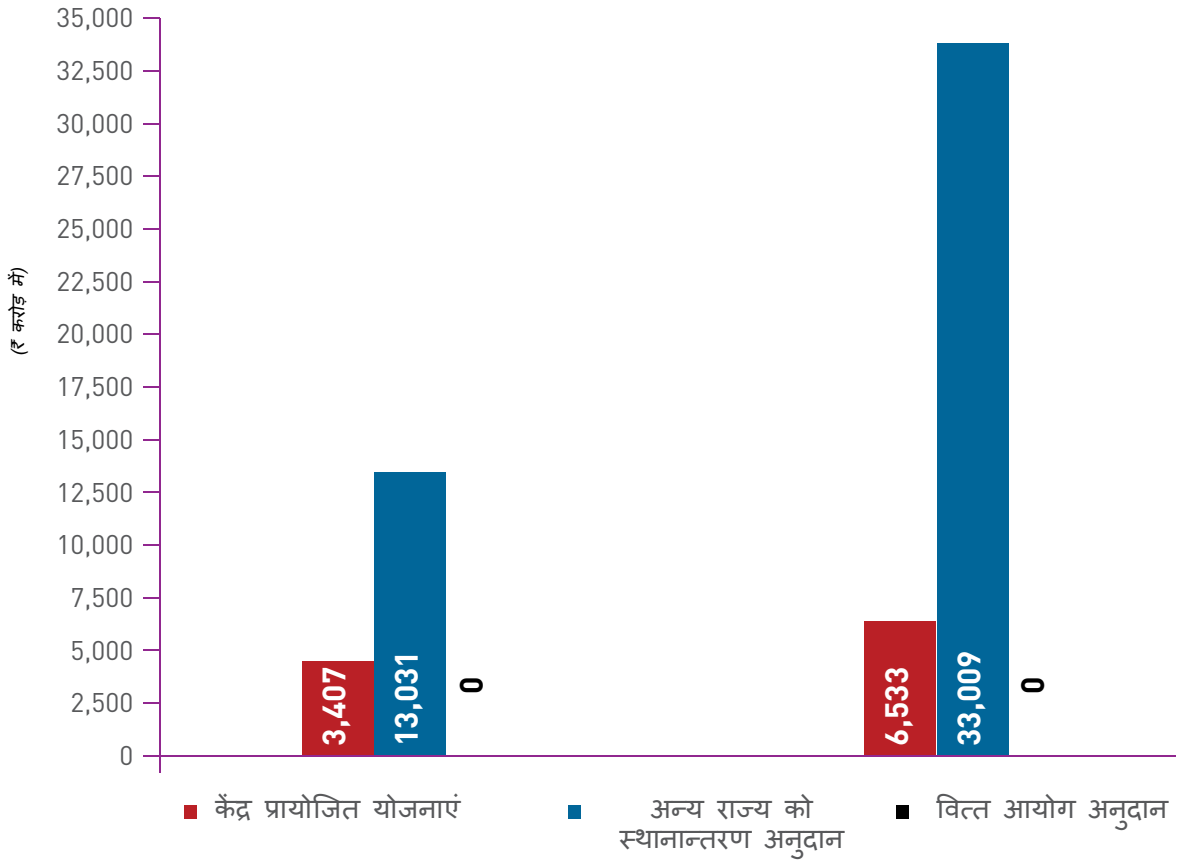

2.5 लोक ऋण

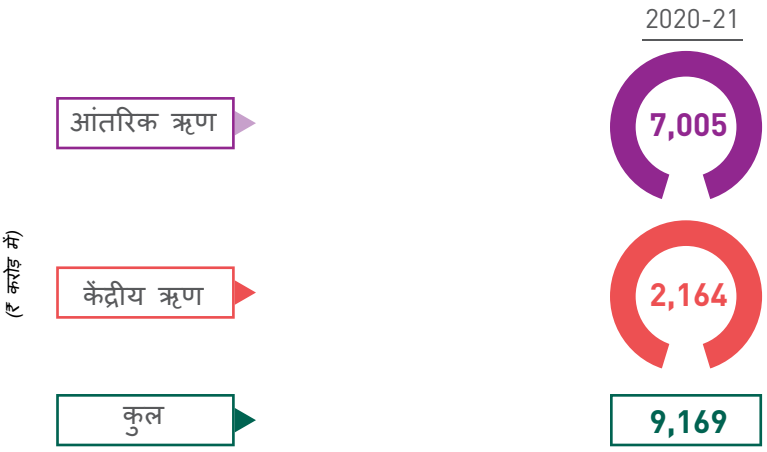

उधार ली गई निधियों के साथ-साथ पूंजीगत व्यय

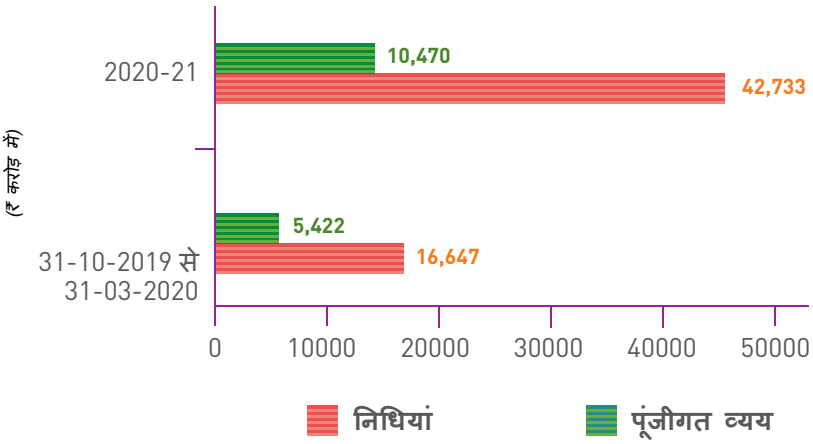

वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल ₹9,328 करोड़ के 15 ऋण 6.46 प्रति शत से 7.24 प्रति शत की भिन्न ब्याज दरों पर खुले बाजार से उठाए गए और इन ऋणों को वर्ष 2029-30 के दौरान प्रतिदेय है। इसके अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹322 करोड़ के ऋण और भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट के रूप में ₹30,800 करोड़ लिए। उक्त अवधि के दौरान ₹2,283 की सीमा तक (जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के स्थान पर एक के बाद एक पारित किए गए ₹2,100 करोड़ के ऋण सम्मिलित है) केंद्र सरकार से ऋण लिए गए।

अध्याय 3

व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय का उपयोग सरकार की दिन-प्रति-दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन, या इस प्रकार की परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने या स्थायी देयताओं को कम करने के लिए किया जाता है।

सरकारी लेखाओं में, व्यय को शीर्ष स्तर पर तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यय के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

- **सामान्य सेवाएं** — न्याय,ब्याज भुगतान, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित है।
- **सामाजिक सेवाएं** — इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जलापूर्ति, एससी, एसटी, ओबीसी का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत इत्यादि सम्मिलित हैं।
- **आर्थिक सेवाएं** — कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहयोग, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित है।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान बजट प्रावधानों के प्रति राजस्व व्यय का आधिक्य नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21
बजट प्रावधान	64,130
वास्तविक	52,634
बचत (-) / आधिक्य (+) में अन्तर	(-)11,496
बजट अनुमान के प्रति वास्तविक आँकडों में अन्तर का प्रतिशत	(-)18

कुल राजस्व व्यय का लगभग 74.67 प्रति शत "प्रतिबद्ध" खर्चों जैसे वेतन पर (₹23,850 करोड़), पेंशन (₹9,078 करोड़) और ब्याज अदायगी (₹6,372 करोड़) पर खर्च किया गया जो कि संघ शासित क्षेत्र सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं है।

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21
कुल राजस्व व्यय	52,634
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय*	39,300
कुल राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	75
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	13,334

** प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान शामिल है।*

3.2.1 वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

घटक	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
क. राजकोषीय सेवाएं	**542**	01
सम्पत्ति और पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रह	17	#
वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रह	524	01
अन्य राजकोषीय सेवाएं	01	#
ख. राज्य के अंग	393	01
ग. ब्याज भुगतान और ऋण शोधन	6,428	12
घ. प्रशासनिक सेवाएं	9,079	17
ड़. पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	9,079	17
च. सामाजिक सेवाएं	19,472	37
छ. आर्थिक सेवाएं	7,641	15
ज. सहायता अनुदान अंशदान	-	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	52,634	100

 # नगण्य

(₹ करोड़ में)

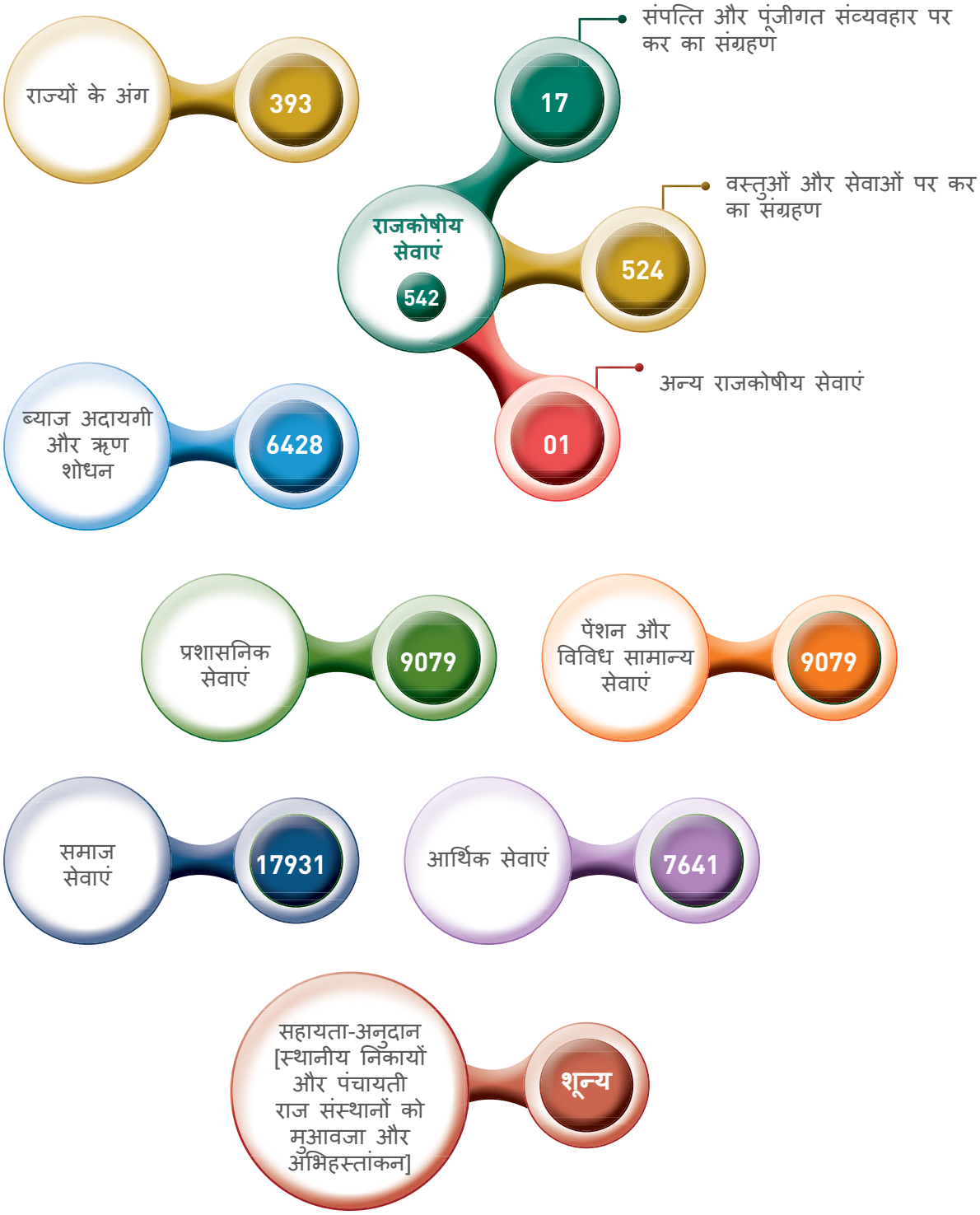
राज्यों के अंग
393
राजकोषीय सेवाएं
542
संपत्ति और पूंजीगत संव्यवहार पर कर का संग्रहण
17
वस्तुओं और सेवाओं पर कर का संग्रहण
524
अन्य राजकोषीय सेवाएं
01
ब्याज अदायगी और ऋण शोधन
6428
प्रशासनिक सेवाएं
9079
पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं
9079
समाज सेवाएं
17931
आर्थिक सेवाएं
7641
सहायता-अनुदान [स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को मुआवजा और अभिहस्तांकन]
शून्य

3.2.2 राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

31.10.2019 से 31.03.2020 और 2020-21 तक के राजस्व व्यय के मुख्य घटकों की प्रवृत्ति

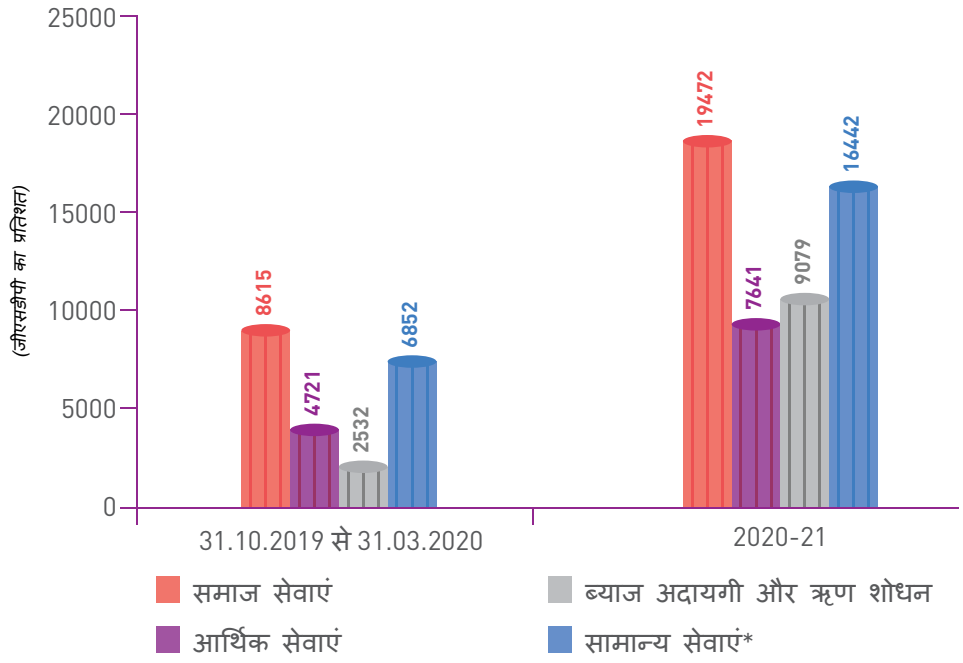

**सामान्य सेवाओं में एमएच 2048 (ऋण में कमी या परिहार हेतु विनियोग) व एमएच 2049 (ब्याज भुगतान) सम्मिलित नहीं है।*

3.3 पूंजीगत व्यय

यदि विकास प्रक्रिया को जारी रखना है तो पूंजीगत व्यय आवश्यक है। 31 अक्तूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान पूंजीगत संवितरण ₹5,422 करोड़ की राशि हेतु ₹14,798 करोड़ के मूल अनुदान से (ऋणों और अग्रिमों हेतु ₹87 करोड़ के अनुदान को सम्मिलित न करते हुए) ₹9,376 करोड़ तक कम था। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान ₹5,422 करोड़ के पूंजीगत संवितरण के अतिरिक्त, ₹38 करोड़ तक के ऋण व अग्रिम भी संवितरित किए गए जो पूंजीगत व्यय का अंश बने। उक्त अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों ने भी मूल अनुदान (₹87 करोड़) के प्रति ₹49 करोड़ तक की बचत को दर्शाया।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21
1	बजट (बजट आंकलन)	14,798	34,408
2	वास्तविक व्यय	5,422	10,495
3	बजट आंकलन से वास्तविक व्यय का प्रति शत	36	
4	पूंजीगत व्यय# में वार्षिक वृद्धि	#	
5	जीएसडीपी*	*	
6	जीएसडीपी# में वार्षिक वृद्धि पी#	-	

 # वर्ष 2019-20 हेतु केवल पाँच महीनों के लेखा के कारण लागू नहीं (अवधि 31.10.2019 से 31.03.2020)

** जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेब-साइट पर जीएसडीपी के ₹ 1,76,282 करोड़ उपलब्ध है।*

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार विवरण

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 1,032 करोड़ पूंजीगत व्यय में विद्युत परियोजनाओं पर (₹590 करोड़), लघु सिंचाई (₹37 करोड़), बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (₹83 करोड़), प्रमुख और मध्यम सिंचाई (₹11 करोड़) और जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹311 करोड़) व्यय सम्मिलित है। सरकार ने भी विभिन्न निगमों/कम्पनियों/सोसायटियों ₹99 करोड़ का निवेश किया। मुख्य निवेश जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन में था। तथापि, पीएसयू ने ₹83 करोड़ का निवेश दर्शाया जिसके परिणामस्वरूप आँकड़ों के दो सेट के मध्य ₹16 करोड़ का अन्तर हुआ।

3.3.2 पूंजीगत और राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 और 2020-21 की अवधि हेतु पूंजीगत और राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार वितरण नीचे दर्शाया है:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र		31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21
(क)	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	733	775
		राजस्व	9,384	25,521
(ख)	समाज सेवाएं	पूंजीगत	1,493	2,493
		राजस्व	8,615	19,472
(ग)	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	3,196	7,202
		राजस्व	4,721	7,641
(घ)	सहायता अनुदान और अंशदान	पूंजीगत	-	-
		राजस्व	-	-

3.4 नियोजित और अनियोजित व्यय

1 अप्रैल 2016 से, राज्य सरकार राजस्व प्रकृति के व्यय के संबंध में और 1 अप्रैल 2017 से जम्मू एवं कश्मीर के निर्माण और वन प्रभागों द्वारा किए गए पूंजीगत प्रकृति के व्यय के संबंध में लेखांकन की नागरिक प्रणाली में पदांतरण किया।

अध्याय 4

विनियोग लेखे

4.1 वर्ष 2020-21 हेतु विनियोग लेखों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	प्रावधान		वास्तविक व्यय		बचत (-) / आधिक्य (+)	
					निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1.	**राजस्व**	62,664	1,548	64,212	64,130	52,649	52,634	(-)11,563	(-)11,496
2.	**पूंजीगत**	34,408	8,399	42,807	42,758	10,512	10,495	(-)32,295	(-)32,263
3.	**लोक ऋण**	25,948	521	26,469	26,469	33,563	35,563	(+)7,094	(+)7,094
4.	**ऋण एवं अग्रिम**	108	-	108	108	62	62	(-)46	(-)46
5.	कुल	122607	10989	133596	133465	96786	96,754	(-)36810	(-)36711

* *नगण्य*

4.2 बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

बचत(-)/आधिक्य(+)					
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण और अग्रिम	कुल
31.10.2019 से 31.03.2020	(-)8,675	(-)8,341	(+)3,096	(-)49	**(-)13,969**
2020-21	(-)11,563	(-)32,295	(+)7,094	(-)46	**(-)36,810**

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के अंतर्गत पर्याप्त बचत निश्चित योजनाओं/ कार्यक्रमों के या तो गैर-कार्यान्वयन या धीमे कार्यान्वयन को इंगित करती है।

महत्त्वपूर्ण निवल बचत सहित कुछ अनुदान नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

अनुदान	नामांकन	31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21
03	आयोजना	639 (65)	945 (62)
06	विद्युत विकास	4,557 (63)	13,999 (80)
10	विधि	301 (45)	506 (55)
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	206 (45)	466 (64)
18	समाज कल्याण	738 (46)	820 (33)
20	पर्यटन	215 (55)	637 (77)
21	वन	209 (35)	1,118 (49)
22	सिंचाई	474 (56)	1,757 (71)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए आँकड़े निवल बचत की प्रतिशतता को दर्शाते है।

अध्याय 5

परिसंपत्तियाँ और देयताएं

5.1 परिसंपत्तियाँ

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप, वर्ष के दौरान भूमि अधिग्रहण/ क्रय के अतिरिक्त, शासकीय परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन इत्यादि का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाते है। इसी प्रकार, लेखे वर्तमान वर्ष में उत्पन्न होने वाली देयताओं का प्रभाव प्रस्तुत करते है, जबकि वे ब्याज की दर और वर्तमान ऋणों की अवधि द्वारा सीमित सीमा के अतिरिक्त भावी पीढ़ियों पर देयताओं का समग्र प्रभाव नहीं दर्शाते।

कुछ निवेश संस्थाओं ने वर्ष 2020-21 हेतु जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार के वार्षिक वित्त लेखाओं में प्रतिबिम्बन हेतु ₹1,189.12 करोड़ की राशि के निवेश का ब्योरा (प्रधान महालेखाकार, लेखापरीक्षा द्वारा) अब प्रदान किया है। ये निवेश अविभाजित जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति से संबंधित है और इन संस्थाओं द्वारा पूर्व में सूचित नहीं किया गया था। जैसा कि पूर्ववर्ती वर्षों (30 अक्टूबर 2019 तक) से निवेश का संबंध है, अत: इन्हें, 30 अक्टूबर 2019 को संचयी शेषों में मिला दिया गया। तत्कालीन राज्य द्वारा 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) की समाप्ति पर 52 संस्थाओं में किया गया कुल निवेश (संशोधित आँकड़े) ₹4,617.16 करोड़ था जो कि निवेशक संस्थाओं द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रदान की गई सूचना/ आंकड़ों पर आधारित था और जिसे सरकार के साथ मिलान नहीं किया गया। इन निवेशों का प्रभाजन अभी भी जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख (अगस्त 2021) संघ शासित क्षेत्रों के मध्य किया जाना है। उत्तराधिकारी संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजन से पूर्व लेखाओं में दर्शाए गए निवेश को संस्थाओं द्वारा सरकार के साथ मिलान करना अपेक्षित है।

31 मार्च 2021 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 की अवधि) की समाप्ति पर जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार का कुल निवेश, जैसा कि 53 संस्थाओं में ₹162.39 करोड़ का पूंजीगत अंश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। तथापि, अवधि के दौरान किसी संस्था से कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा बुक किए गए ₹99.25 करोड़ के निवेश के प्रति, पीएसयू ने ₹ 83.27 करोड़ का निवेश दर्शाया जिसके परिणामस्वरूप आँकड़ों के दो सेटों के मध्य ₹15.98 करोड़ का अन्तर हुआ। यद्यपि मामला सरकार को प्रेषित किया गया है परंतु इस संबंध में सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अन्तर का ब्योरा नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	*संघ शासित क्षेत्र के अनुसार राशि*	पीएसयू के अनुसार राशि	*अन्तर*	अभ्युक्तियाँ
		(₹ करोड़ में)			
1	जेएण्डके एससी/ एसटी/बीसी विकास निगम लि.	शून्य	1.20	(-)1.20	सरकार ने निवेश के रूप में ऐसी कोई राशि बुक नहीं की।
2	जेएण्डके महिला विकास निगम लि.	2.21	शून्य	(+)2.21	निगम ने उक्त राशि को अनुदान के रूप में दिखाया।
3	जेएण्डके एसआईसीओपी लि.	2.00	शून्य	(+)2.00	निगम ने उक्त राशि को अनुदान के रूप में दिखाया।
4	जेएण्डके एसआईडीसीओ लि.	3.40	शून्य	(+)3.40	निगम ने उक्त राशि को अनुदान के रूप में दिखाया।
5	भूविज्ञान और खनन	0.82	शून्य	(+)0.82	निगम ने उक्त राशि को अनुदान के रूप में दिखाया।
6	जेएण्डके खनिज लि.	1.40	शून्य	(+)1.40	निगम ने उक्त राशि को अनुदान के रूप में दिखाया।
7	जेएण्डके बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लि.	शून्य	0.80	(-)0.80	सरकार ने निवेश के रूप में ऐसी कोई राशि बुक नहीं की सरकार ने निवेश के रूप में ऐसी कोई राशि बुक नहीं की।
8	जेएण्डके सहकारिताएं/ कृषि एवं ग्रामीण बैंक	8.15	शून्य	8.15	यद्यपि, सरकार ने लघु शीर्ष-190-निवेश के अंतर्गत राशि को बुक किया, परंतु निगम ने उक्त राशि को निवेश के रूप में नहीं दर्शाया।
	कुल	17.98	2.00	(+)15.98	

31 मार्च 2021 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 तक) को जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र (पुनर्गठन पश्चात) का रोकड़ शेष प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के अभिलेख अनुसार ₹ 1,447.69 करोड़ (डेबिट) था प्रधान महालेखाकार और आरबीआई {जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी द्वारा कार्य किया गया है)} के अभिलेख अनुसार ₹1,448.27 करोड़ (क्रेडिट) था। संघ शासित सरकार और अभिकरण बैंक के मध्य गैर समाधान के कारण, ₹0.58 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अन्तर था।

30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) को आरबीआई और प्रधान महालेखाकार के आँकड़ों के मध्य ₹83.32 करोड़ (क्रेडिट) का भी निवल अन्तर था जिसे अभी भी जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान 14 अवसरों पर 14 दिनों के कोषागार बिलों में ₹11,904 करोड़ की राशि और 35 अवसरों पर ₹11,904 करोड़ के मूल्य के पुन: छूट प्राप्त कोषागार बिलों पर निवेश किया। वर्ष 2020-21 के दौरान निवेश की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

भारत सरकार के कोषागार बिलों में रोकड़ शेष निवेश			
1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान खरीद	वर्ष 2020-21 के दौरान बिक्री	31 मार्च 2021 को अंत शेष
-	1,904	11,904	-
384	-	-	384

तालिका में बोल्ड में दर्शाई गई राशि 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति (पुनर्गठन पूर्व) तक 14 दिनों के कोषागार बिलों में रोकड़ शेष के अंतर्गत निवेश का प्रतिनिधित्व करती है जिसे अभी भी उत्तराधिकारी जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के मध्य प्रभाजित करना है।

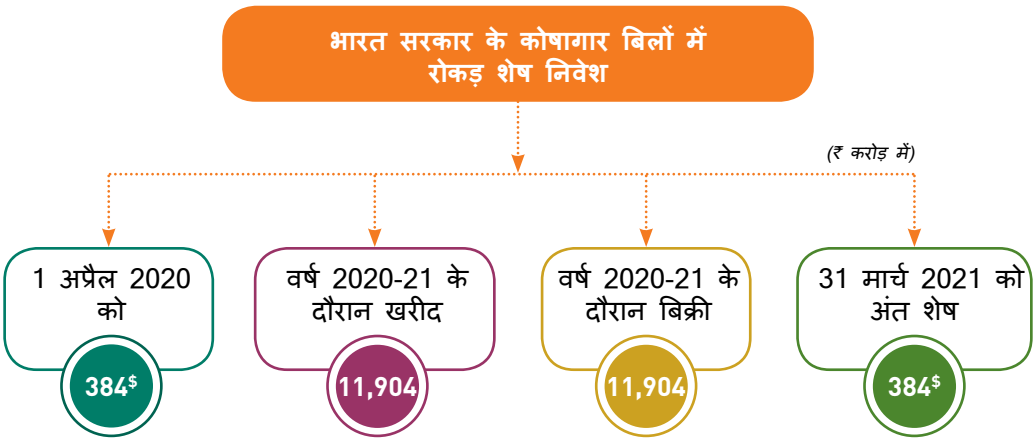

$ जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य से संबंधित 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) को समाप्त होने वाले शेष का प्रतिनिधित्व करता है जिसे अभी तक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उत्तराधिकारी केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विभाजित किया जाना है।

5.2 ऋण और देयताएँ

भारत का संविधान संघ शासित क्षेत्र सरकार को ऐसी सीमाओं के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधार लेने की शक्ति प्रदान करता है, यदि कोई हो, जैसा कि समय-समय पर संघ शासित विधानमंडल द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाए।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 (पुनर्गठन पश्चात) संघ शासित सरकार के लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

(आँकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी शेष है)						
वर्ष	लोक ऋण	*जीएसडीपी* को ऋण*	लोक लेखा**	*जीएसडीपी* को प्रति शत*	कुल देयताएं	*जीएसडीपी* को प्रति शत*
31.10.2019 से 31.03.2020 तक	3,498	*	2,002	*	5,500	*
2020-21	10,568#	6.00	4,313	2.44	14,881#	8.44

** संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि हेतु जीएसडीपी आँकड़ों को उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2020-21 हेतु जीएसडीपी, ₹ 1,76,282 करोड़ है जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेब-साइट पर उपलब्ध है।*

*** अग्रिम, उचंत व विविध और प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं हैं।*

 # वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले भारत सरकार द्वारा एक के बाद एक पारित किए गए ₹ 2,100 करोड़ के ऋण सम्मिलित नहीं हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, लोक ऋण और अन्य देयताओं ने (जीओआई संख्या. 40(1) पीएफ-एस/2020-21 दिनांक 10 दिसंबर 2021 द्वारा भारत सरकार (जीओआई) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति में कमी के स्थान पर एक के बाद एक ऋणों के रूप में ₹2,100 करोड़ के ऋण को पारित किया, को छोड़ कर) ₹9,381 करोड़ की निवल वृद्धि दर्शाई।

सरकार की देयताओं में प्रवाह

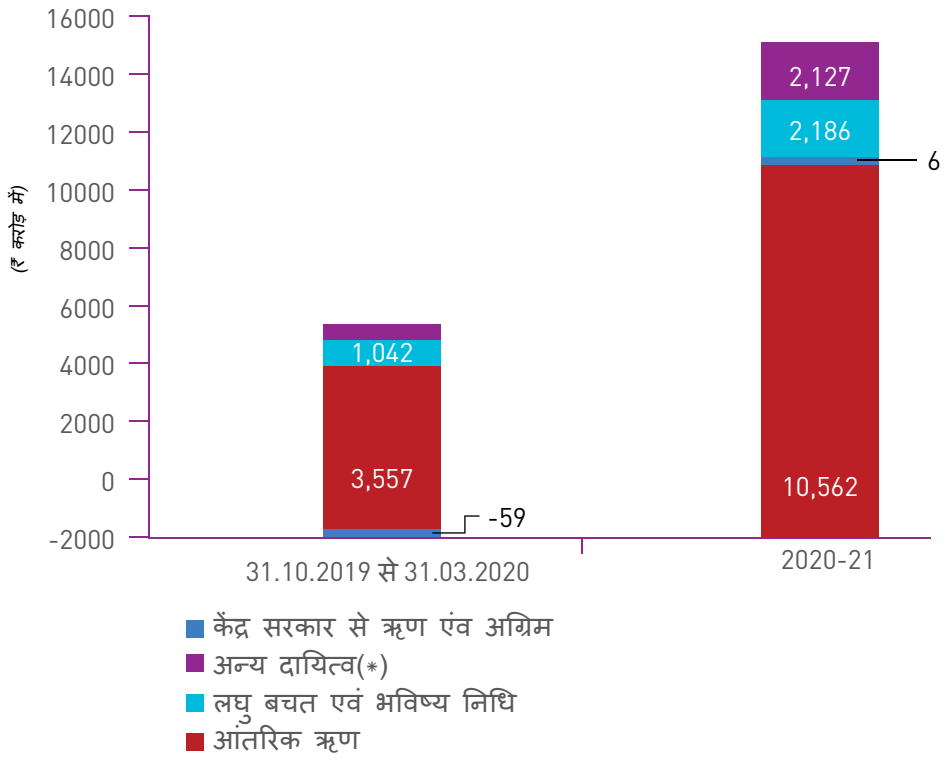

30 अक्टूबर 2019 को (पुनर्गठन पूर्व), ₹ 83,537 करोड़ का बकाया शेष भी था जिसे अभी भी उत्तराधिकारी जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के मध्य प्रभाजित करना है। तथापि, उक्त राशि को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित किया गया है।

5.3 प्रत्याभूतियाँ

सीधे ऋण जुटाने के अतिरिक्त, संघ शासित सरकार सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा विभिन्न आयोजनागत योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बाजार और वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की गारंटी भी देती है। इन प्रत्याभूतियों को संघ शासित बजट से बाहर प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2020-21 (पुनर्गठन पश्चात) के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियों इत्यादि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूलधन और उस पर ब्याज का भुगतान) के पुन: भुगतान के लिए संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्रत्याभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष के अंत में	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
31.10.2019 से 31.03.2020 तक	5,204	1,325	-
2020-21	12,564	1,486	-

नोट: वित्त लेखा के विवरण संख्या 20 में ब्योरा उपलब्ध है। आँकड़े संघ शासित क्षेत्र सरकार के साथ मिलान के अधीन है।

(₹ करोड़ में)

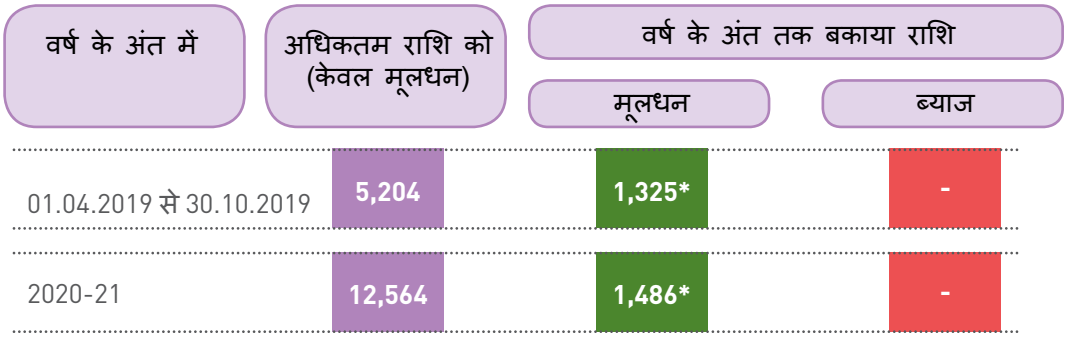

** बकाया गारंटी में पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) को समाप्त अवधि के लिए ₹452 करोड़ मूलधन और ₹02 करोड़ ब्याज शामिल नहीं है, जिसे अभी तक नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विभाजित किया जाना है। जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 31 अक्टूबर 2019 (नियत दिन) से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख।*

अध्याय 6

अन्य मदें

6.1 सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम

सरकारी सेवकों (जिसके लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), जम्मू एवं कश्मीर ब्योरेवार लेखाओं का अनुरक्षण करता है) को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के अतिरिक्त, जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को सौंपे गए लेखाओं द्वारा प्राप्त सूचना पर आधारित अन्य सभी ऋणों और अग्रिमों की सूचना को विवरण 7 और 18 में दर्शाया गया है। विवरण 7 और 18 में दर्शाए गए अंत शेषों को 31 मार्च 2021 तक ऋण लेने वाली संस्थाओं/ संघ शासित सरकार के साथ मिलान नहीं किया गया है। तथापि, विवरणों में बकायों की वसूलियाँ और उस पर खर्च किए गए ब्याज का ब्योरा निहित नहीं है जैसा कि उक्त सूचना संघ शासित क्षेत्र सरकार (अगस्त 2021) से प्रतीक्षित है। वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹61.64 करोड़ तक की राशि के ऋणों (सरकारी सेवकों को शून्य सम्मिलित) को संघ शासित सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को दिया गया और ₹1,93 करोड़ ऋणों की अदायगी के रूप में (सरकारी सेवकों से ₹0.47 करोड़ और 31 मार्च 2021(31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 की अवधि) को ₹95.51 करोड़ का निवल बकाया ऋण छोड़ते हुए अन्य संस्थाओं से ₹1.46 करोड़) की प्राप्ति हुई। ₹95.51 करोड़ के अतिरिक्त, 30 अक्टूबर 2019 को ऋणों और अग्रिमों के अंतर्गत तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर सरकार से संबंधित ₹1,740.44 करोड़ का बकाया शेष था जिसे अभी भी जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

संबंधित विभागों द्वारा बकायों में वसूलियों संबंधी सूचना (मूलधन और ब्याज दोनों) को प्रत्येक वर्ष प्रधान महालेखाकार को प्रदान करना अपेक्षित है। वर्ष 2020-21 के दौरान इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

6.2 स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता

वर्ष 2020-21 के दौरान, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान 6,532 करोड़ था। 2020-21 के दौरान नगर पालिकाओं सहित शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान 902 करोड़ था जो इस अवधि के दौरान दिए गए कुल अनुदान का 13.81 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता

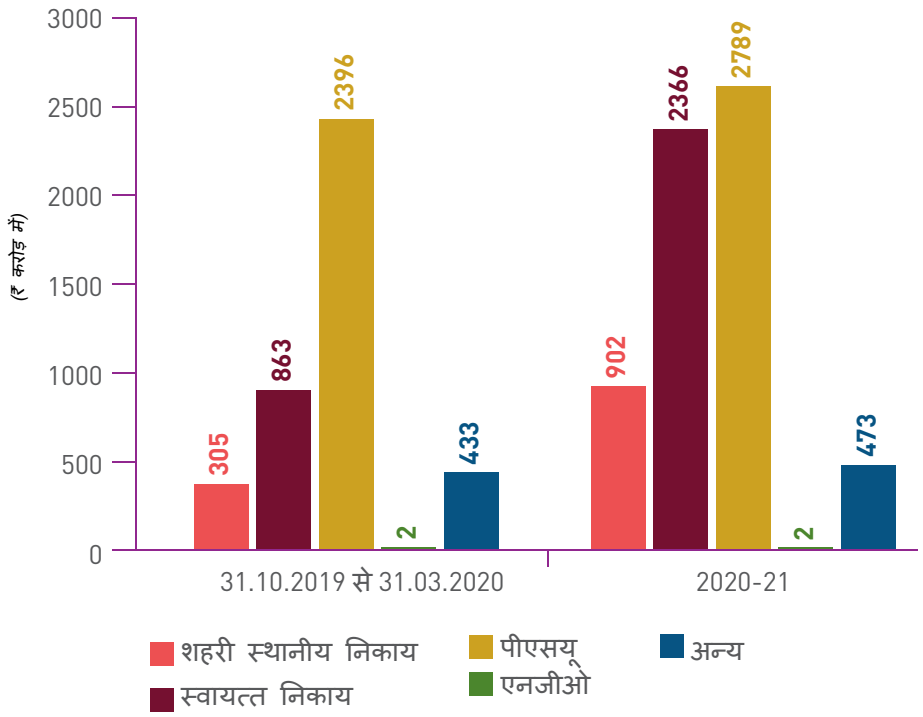

6.3 रोकड़ शेष

(₹ करोड़ में)

घटक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2021 तक
रोकड़ शेष	1,482	1,448
	(-)42	(-)42
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में रोकड़		-
	07	07
विभागीय शेष		-
	05	05
स्थायी अग्रदाय		-
	*	*
आरबीआई और अन्य बैंकों के साथ जमा	1,482	1,448
	(-)449	(-)449
रोकड़ शेष निवेश		-
	384	384
चिन्हित निधि शेषों से निवेश		-
	11	11

** नगण्य (₹ 0.12 करोड़ मात्र)*

बोल्ड में आँकड़े 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति पर जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में प्रतिधारित शेषों का प्रतिनिधित्व करते है, जिन्हें अभी भी जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

6.4 लेखों का मिलान

लेखाओं की सटीकता और विश्वसनीयता, अन्य बातों के मध्य, समय पर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा संकलित लेखाओं में प्रकट होने वाले आँकड़ों के साथ विभाग के साथ उपलब्ध आँकड़ों के मिलान पर निर्भर करती है। यह प्रयोग संबंधित मुख्य नियंत्रक अधिकारियों/ नियंत्रक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹48,444.58 करोड़ की राशि तक प्राप्तियाँ (लोक ऋण को सम्मिलित न करते हुए ₹52,495.48 की कुल प्राप्तियों का 92.28 प्रति शत) और ₹40,905.14 करोड़ (लोक ऋण को सम्मिलित न करते हुए ₹63,104.13 करोड़ के कुल व्यय का 64.82 प्रति शत) की राशि के व्यय को जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित सरकार द्वारा मिलान किया गया।

6.5 लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाइयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखाओं का 20 जिला कोषागारों को सम्मिलित करते हुए 121 कोषागारों द्वारा सौंपे गए प्रारम्भिक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्शों के आधार पर संकलन किया गया है। 1 अप्रैल 2016 से जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने पूंजीगत खण्ड से संबंधित और अप्रैल 2017 से निर्माण और वन प्रभागों के संबंध में, राजस्व खण्ड संबंधी नागरिक लेखांकन प्रणाली में पदांतरण किया। तदनुसार, 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निर्माण और वन प्रभागों से कोई मासिक लेखा बकाया नहीं था। 31 मार्च 2021 की समाप्ति पर कोई लेखा नहीं छोड़ा गया।

6.6 परामर्श बिना नए उप शीर्षों/ विस्तृत लेखा शीर्षों को खोलना

वर्ष 2020-21 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित सरकार ने प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की सलाह के बिना बजट में किसी उप-शीर्ष को नहीं खोला जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित है।

6.7 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई 2017 से आरंभ किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र का जीएसटी संग्रह वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र से संबंधित) के ₹2,115.75 करोड़ की तुलना में ₹4,839.35 करोड़ था, ₹2,723.60 करोड़ (128.60 प्रति शत) की वृद्धि को पंजीकृत करते हुए; विशाल वृद्धि केवल वर्ष 2019-20 हेतु केवल पाँच महीनों के लेखाओं के कारण है। इसमें ₹3,311.00 करोड़ की राशि तक आईजीएसटी का अग्रिम प्रभाजन सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र को वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी कार्यान्वयन से राजस्व की हानि के कारण ₹2,171.22 करोड़ की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त हुई।

6.8 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिल

आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) से संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों पर आहरित अदायगियों के प्रति अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचरों सहित विस्तृत अधोहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिलों को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। समर्थन में डीसीसी बिलों का देरी से प्रस्तुतीकरण या लंबे समय तक प्रस्तुतीकरण न करना एसी बिलों द्वारा व्यय को अपारदर्शी बनाता है और वित्त लेखा में वाउचरों के रूप में दर्शाए गए व्यय को स्पष्ट या अंतिम नहीं बना सकता है।

(क) वर्ष 2020-21 के दौरान आहरित ₹5,187.43 करोड़ की राशि तक के 719 एसी बिलों में से, में ₹2,379 करोड़ (45.86 प्रति शत) की राशि तक के 604 एसी बिलों का आहरण मार्च 2021 में किया गया। 31 मार्च 2021 तक ₹5,280.71 करोड़ की राशि तक के कुल 356 एसी बिलों के संबंध में डीसीसी बिलों को प्राप्त नहीं

किया गया। 31 मार्च 2021 तक असमायोजित एसी बिलों और डीसीसी बिलों का लंबित प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:

वर्ष (*)	लंबित डीसी बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2019-20 (31.10.2019 से 31.01.2020 तक)	52	340.03
2020-21 (01.02.2020 से 31.01.2021 तक)	304	4,940.68
कुल	356	5,280.71

(*) उपर्युक्त वर्णित वर्ष 31 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पश्चात) आहरित बिलों और 31 मार्च 2021 तक के लेखाओं को प्रस्तुत न किए गए समायोजनों से संबंधित है। तदनुसार संघ शासित क्षेत्र सरकार ने एसी बिल समायोजन के आहरण हेतु संशोधित कोडल प्रावधानों को प्राप्त नहीं किया है। यहाँ पर नियमानुसार दो महीनों की अवधि तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित है।
(#) 14 विभागों द्वारा आहरित

प्रमुख त्रुटिकर्त्ता विभाग जिन्होनें डीसीसी बिलों को प्रस्तुत नहीं किया वे लोक निर्माण विभाग (₹1,629 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹936.14 करोड़), स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग (₹557.04 करोड़), शिक्षा विभाग (₹320.59 करोड़), आवास और शहरी विकास विभाग (₹ 308.93 करोड़) है।

(ख) आगे, निम्न विवरणानुसार तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक ₹6,885.63 करोड़ की राशि के एसी बिलों के संबंध में डीसीसी बिलों का आहरण किया गया, जो कि 31 मार्च 2021 तक प्रतीक्षित थे। इन बकाया डीसीसी बिलों का द्विभाजन अभी भी उत्तराधिकारी संघ शासित क्षेत्रों जैसे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के मध्य किया जाना है।

वर्ष (*)	लंबित डीसी बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2017-18 तक	1,877	2,272.86
2018-19	222	2,365.71
2019-20 (30.10.2019)	138	2,247.06
कुल	2,237	6,885.63

(*) उपर्युक्त वर्णित वर्ष"बकाया वर्ष" जो कि वास्तविक आहरण के दो महीनों के पश्चात और 31 मार्च 2021 तक के लेखा से संबंधित है।

6.9 लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत बुकिंग

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/ 800-अन्य प्राप्तियाँ का प्रचालन केवल तभी किया जाता है जब उचित लघु शीर्ष को लेखाओं में प्रदान नहीं किया जाता है। लघु शीर्ष 800 के प्रचालन को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, लेखाओं के 48 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4,677.34 करोड़, कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹63,104.13) के 7.41 प्रति शत का निर्माण करते हुए लेखाओं में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

समान रूप से लेखाओं के 38 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3,741 करोड़ (मुख्य शीर्ष-0801 के अंतर्गत विद्युत की बिक्री और विविध विद्युत प्राप्तियों को दर्शाते हुए ₹2,349.74 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों को सम्मिलित करते हुए), कुल राजस्व प्राप्तियों (₹52,495.48 करोड़) के 7.13 प्रति शत का निर्माण करते हुए लेखाओं में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

6.10 राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

वर्ष 2020-21 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार के राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव को नीचे सारणीकृत किया गया है:

मद (उदाहरणात्मक)	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अध्युक्ति (₹ करोड़ में)	निम्नोक्ति (₹ करोड़ में)	अध्युक्ति (₹ करोड़ में)	निम्नोक्ति (₹ करोड़ में)
राजस्व और पूंजीगत के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	कोई प्रभाव नहीं	189.81	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं
राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि पर ब्याज की गैर अदायगी	कोई प्रभाव नहीं	13.88	कोई प्रभाव नहीं	13.88
राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा पर ब्याज की गैर अदायगी	कोई प्रभाव नहीं	10.03	कोई प्रभाव नहीं	10.03
परिभाषित अंशदायी पेंशन निधि को लघु अंशदान	कोई प्रभाव नहीं	36.84 (क)	कोई प्रभाव नहीं	36.84 (क)
कुल (निवल) प्रभाव	250.56 (क)		60.75 (क)	

(क) 01.04.2020 से सरकार के अंशदान (मई 2021 में) की 10 प्रति शत से 14 प्रति शत भूतलक्षी वृद्धि राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव में प्रतिबिम्बित नहीं हुई। कृपया पैरा 4 (i)का संदर्भ लीजिए।

6.11 सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति देयताएं

31 दिसंबर 2009 को या इससे पूर्व भर्ती किये गये संघ शासित क्षेत्र सरकार के कर्मचारियों हेतु "पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों" पर वर्ष के दौरान व्यय ₹ 8,577.70 करोड़ (एनपीएस के प्रति सरकारी अंशदान को सम्मिलित नहीं करते हुए) था।

6.12 पीएसयू को दिए गए अनुदान/ ऋण जहाँ लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने नौ पीएसयू/ सांविधिक निगमों इत्यादि को ऋण और दो पीएसयू/ सांविधिक निगमों को अनुदान जारी किये थे। वर्ष 2020-21 हेतु इन सभी 11 पीएसयू/ सांविधिक निगमों इत्यादि के लेखाओं को अगस्त 2021 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

वर्ष*	प्रतीक्षित यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	1,461	5,725.99
2019-20	345	1,248.21
2020-21	1,409	3,102.38
कुल	3,215	10,076.58

(उपर्युक्त वर्णित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है जो कि 31 मार्च 2021 तक लेखाओं के वास्तविक आहरण और समायोजन के 18 महीनों के पश्चात है)*

6.13 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त किये गये सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यूसी) को अनुदानग्राही द्वारा उस प्राधिकारी, जिसने इसे संस्वीकृत किया था, को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। यूसी की अप्रस्तुति के कारण, यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि वित्त लेखे में दर्शायी गयी राशि हितभागियों तक पहुँच गयी थी और इस प्रकार व्यय को सही और अंतिम रूप में आंकलित नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, 30 सितंबर 2019 को समाप्त अवधि हेतु तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित बकाया यूसी संबंधी₹ 4,173.18 करोड़ का निपटारा कर दिया गया था। 30 सितंबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक आहरित तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बकाया यूसी की 31 मार्च 2021 तक की स्थिति नीचे दी गयी है और अविभाजित जम्मू एवं कश्मीर राज्य की जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता खण्ड-Iके पैरा 10.19 के अनुसार इन अनुदानों के यूसी को आहरण की तिथि से 18 महीनों के अंदर प्रधान महालेखाकार (ले व हक) को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। बकाया यूसी की स्थिति उपर्युक्त तालिका में दी गई है।

प्रमुख त्रुटिकर्त्ता विभाग जिन्होंने यूसी प्रस्तुत नहीं किये थे, वे हैं- शिक्षा विभाग (₹ 5,750.73 करोड़, 57.07 प्रतिशत), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग (₹ 1,043.34 करोड़, 10.35 प्रतिशत), कृषि विभाग (₹ 984.00 करोड़, 9.77 प्रतिशत), तथा ग्रामीण विकास विभाग (₹ 675.81 करोड़, 6.71 प्रतिशत)।

6.14 पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 का उद्देश्य सभी विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरण संबंधी चिंता को मुख्यधारा में लाना है। "पर्यावरण", अपशिष्ट प्रबंधन, "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण", "पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा" तथा "पर्यावरण संरक्षण" इत्यादि संबंधी बजट और व्यय के आँकड़े संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वाउचरों/ बजट दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर संकलित किये जाते हैं।

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा पर्यावरण के प्रति किये गये व्यय लेखा के विभिन्न कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष स्तर तक वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 2406- "वानिकी और वन्य जीवन" मुख्य शीर्ष 3435-"पारिस्थितिकी और पर्यावरण" के अंतर्गत ₹119.88 करोड़ के बजट आबंटन के प्रति ₹83.81 करोड़ का व्यय किया। वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया व्यय ₹ 83.81 करोड़ था अर्थात् राजस्व व्यय का 0.16 प्रतिशत था।

6.15 प्रतिपूरक वनरोपण निधि

वर्ष 2020-21 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित सरकार ने प्रयोक्ता अभिकरणों से ₹180.19 करोड़ की राशि प्राप्त की और उक्त राशि को मुख्य शीर्ष 8336-नागरिक जमाएँ के अंतर्गत क्रेडिट किया। उक्त प्राप्ति का 90 प्रति शत (₹180.19 करोड़) को मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि को हस्तांतरित नहीं किया गया और वर्ष 2020-21 के दौरान 10 प्रति शत शेष का राष्ट्रीय निधि में भी प्रेषण नहीं किया गया । जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार ने ₹356.20 करोड़ की राशि राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण जमा से प्राप्त की और मुख्य शीर्ष '8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ' के अंतर्गत प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) को क्रेडिट की। 31 मार्च 2021 को राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा/ निधि में मुख्य शीर्ष 8336-नागरिक जमाएँ के अंतर्गत ₹475.26 करोड़ और मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ के अंतर्गत ₹764.57 करोड़ का कुल शेष था।

6.16 विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का हस्तांतरण

शासित क्षेत्र योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदानों के रूप में संघ शासित क्षेत्र/ जिला स्तरीय अभिकरणों, स्वायत्तशासी निकायों और प्राधिकरणों, सोसाइटियों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को निधियाँ उपलब्ध कराती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सरकारी योजना/ निर्माण कार्यों/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹6,531.86 करोड़ की राशि प्रदान की थी। सरकारी लेखे

से बाहर रखे गये (बैंक खातों में) कार्यान्वयन अभिकरणों के खातों में अव्ययित शेषों की सकल राशि तत्काल अभिनिश्चित करने योग्य नहीं है। इसलिए, उस सीमा तक लेखाओं में प्रतिबिम्बित सरकारी व्यय अंतिम नहीं है।

6.17 पाँच वर्ष और अधिक अवधि की अपूर्ण परियोजनाएं

संघ शासित क्षेत्र सरकार से प्राप्त सूचना (अगस्त 2021) के अनुसार, दो विभागों (अर्थात् सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा जल शक्ति (पीएचई) विभाग) के अंतर्गत 157 अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्य थे, जो पाँच वर्षों या अधिक अवधि के हैं, इनका विवरण वित्त लेखे खण्ड-II के **परिशिष्ट-IX** में वर्णित है। इन 157 अपूर्ण निर्माण कार्यों में से, लागत में वृद्धि सहित पाँच वर्षों या अधिक अवधि के छह निर्माण कार्य हैं।

6.18 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के बैंक खातों में रखी हुई अव्ययित राशि

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को सरकार की ओर से भुगतान करने के लिए सरकारी खाते/ समेकित निधि से धन का आहरण करना अपेक्षित है। संघ शासित क्षेत्र सरकार से प्राप्त सूचना (अगस्त 2021) से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2021 को ₹ 25.39 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कारण स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के नौ डीडीओ के बचत/ चालू बैंक खाते में पड़े हुए थे। अन्य विभागों के संबंध में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021) थी।

प्रधान महालेखाकार (ले व हक) ने सरकार से डीडीओ के सभी बचत/ चालू बैंक खाते बंद करने और सरकारी खातों से धन के आहरण हेतु कोषागार नियमावली, प्राप्ति और भुगतान नियमावली इत्यादि की विहित कार्यविधि का अनुकरण करने के लिए आग्रह किया है। नौ डीडीओ द्वारा परिचालित किये जा रहे बचत/ चालू बैंक खातों का विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**आहरण एवं संवितरण अधिकारी**	**राशि**
1.	प्रधानाचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू	3.23
2.	मुख्य लेखा अधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कठुआ	0.68
3.	मुख्य लेखा अधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजौरी	0.47
4.	मुख्य लेखा अधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डोडा	0.57
5.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, जम्मू	0.15
6.	निदेशक, परिवार कल्याण और एमसीएच, इम्यूनाइजेशन, जेएण्डके	0.30
7.	प्रधानाचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर	12.45
8.	मुख्य लेखा अधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बारामूला	5.49
9.	मुख्य लेखा अधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अनंतनाग	2.05
	कुल	**25.39**

6.19 सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज

सरकार लघु बचत एवं भविष्य निधि इत्यादि के अंतर्गत शेषों के संबंध में ब्याज की अदायगी के लिए उत्तरदायी है, तथापि, संघ शासित सरकार वर्ष 1986-87 से 31 मार्च 2021 तक तदर्थ आधार पर सूचित कर रही है। परिणामस्वरूप, कर्मचारियों के जीपीएफ/ एसएलआई के अंशदान के कारण ब्याज देयता/ व्यय की वास्तविक राशि 31 मार्च 2021 की समाप्ति हेतु वित्त लेखा में प्रतिबिम्बित राशि को जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा वास्तविक खर्च की गई देयता और सूचित तदर्थ राशि के मध्य अवकल राशि की सीमा तक अध्युक्त/ न्यूनोक्त है।

6.20 आकस्मिकता निधि

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 69 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की आकस्मिकता निधि से धनराशि के आहरण और उसमें धनराशि के भुगतान की अभिरक्षा के अनुषंगी तथा संबद्ध सभी मामलों के विनियमन हेतु जम्मू एवं कश्मीर की आकस्मिकता निधि नियमावली, 2020 (अधिसूचना सं. एस.ओ-271 दिनांक 27 अगस्त 2020) का निर्माण किया। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार कीआकस्मिकता निधि में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि से हस्तांतरित ₹ 25.00 करोड़ का कॉर्पस है। 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की आकस्मिकता निधि में₹ एक करोड़ का शेष था जिसे दो आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है।

6.21 पुनर्गठन के परिणामस्वरूप शेषों का आबंटन

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (धारा 84 और 85) तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर 2020 में वह तरीका उपबंधित है जिसके द्वारा शेषों को 31 अक्टूबर 2019 से आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

यद्यपि, इस संबंध में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी कर दी गयी थी, परंतु 30 अक्टूबर 2019 तक के सभी शेषों को आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है, परिणामस्वरूप लेखाओं के कुछ शीर्षों के अंतर्गत विपरीत शेष रहे।

6.22 नवीन पेंशन योजना

1 जनवरी 2010 को या उसके बाद भर्ती किये गये सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेन्शन योजना, जोकि एक परिभाषित पेन्शन योजना है, के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है। योजना की शर्तों में, कर्मचारी उसके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का अंशदान करता/ करती है, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का अंशदान किया जाता है, और समस्त राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जानी होती है। तथापि, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सरकारी अंशदान को मई 2021 (संघ शासित क्षेत्र जम्मू एव कश्मीर सरकार एसओ सं. 178 दिनांक 20 मई 2021) में 1 अप्रैल 2020 से भूतलक्षी प्रभाव सहित 14 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने केवल 10 प्रतिशत मैचिंग शेयर का अंशदान किया।

वर्ष 2020-21 के दौरान परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना में कुल अंशदान ₹1,037.66 करोड़ (कर्मचारी अंशदान ₹537.25 करोड़ और संघ शासित क्षेत्र सरकार अंशदान ₹500.41 करोड़) था। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष-8342-117 परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना के अंतर्गत लोक लेखा में ₹1,037.66 करोड़ हस्तांतरित किये। एनपीएस के प्रति संघ शासित क्षेत्र सरकार का अंशदान ₹ 36.84 करोड़ तक कम था जिसका परिणाम उस सीमा तक राजस्व घाटों और राजकोषीय घाटे के कम आंकलन के रूप में हुआ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 31 मार्च 2021 तक निधि के अंतर्गत ₹0.52 करोड़ का डेबिट शेष छोड़ते हुए, एनएसडीएल/ ट्रस्टी बैंक (₹ 17.29 करोड़ के पिछले बकाया सहित) को ₹ 1,055.47 करोड़ हस्तांतरित किये गये थे। 31 मार्च 2020 को डेबिट शेष, 30 अक्टूबर 2019 को निधि के अंतर्गत उपलब्ध शेष के आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य गैर-प्रभाजन के कारण था।

प्रोद्भूत ब्याज सहित असंग्रहित, असुमेलित और अहस्तांतरित राशियाँ योजना के अंतर्गतसंघ शासित क्षेत्र सरकार की बकाया देयताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं।

6.23 भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भारत सरकार ने कामगारों को लाभ पहुँचाने के लिए उपकर की उगाही और संग्रहण हेतु भवन और अन्य निर्माण कामगार उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) बनाया था। इस अधिनियम ने, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्रत्येक सरकार द्वारा नियमावली का निर्माण करने तथा भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के गठन को समादेशित किया। तदनुसार, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य ने अधिनियम के अंतर्गत भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा-शर्तों का विनियमन) नियमावली, 2006 का निर्माण किया तथा वर्ष 2007 में जम्मू एवं कश्मीर भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया। बोर्ड श्रमिक उपकर जमाओं के रूप में सरकार द्वारा जमा की गयी राशि के परिचालन और अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने उक्त नियमावली का अनुपालन जारी रखा। वर्ष 2020-21 के दौरान,संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने श्रम उपकर के रूप में ₹124.41 करोड़ संग्रहित किये जो बोर्ड के बैंक खाते में रखे जा रहे हैं।

6.24 अन्य उपकर

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 0029-"भू-राजस्व" (श्रम उपकर के अलावा) के नीचे लघु शीर्ष 103-"भूमि पर दरें और उपकर" के अंतर्गत ₹22.45 करोड़ की राशि बुक की थी। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार (अगस्त 2021) द्वारा संग्रहित उपकरों के हस्तांतरण हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा कोई निधि स्थापित नहीं की गयी थी।

6.25 ब्लॉक अनुदानों को शामिल न करते हुए केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)/ अतिरिक्त केंद्रीय

योजना/ गैर-योजना के विलयन के परिणामस्वरूप, निर्मोचित केन्द्रीय सहायता को अब केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता/ अंश में वर्गीकृत किया गया है।

वर्ष 2020-21 में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता/ अंश के प्रति महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के पोर्टल लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में प्रदर्शित ₹6,572.60 करोड़ के प्रति, आरबीआई से निर्बाधता ज्ञापनों, सीएएस, नागपुर और संबंधित मंत्रालयों से समर्थक संस्वीकृति आदेशों से ₹6,385.75 करोड़ (केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों द्वारा पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से हितभागियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण को सम्मिलित न करते हुए) प्राप्त हुए थे।संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं में आरबीआई द्वारा अप्रैल 2021 में अभिलेखबद्ध और 31 मार्च 2021 को निर्मोचित₹ 186.85 करोड़ के अलावा, उक्त राशि को मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं में समुचित रूप से बुक किया गया है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बुक किया गया कुल व्यय ₹6,034.70 करोड़ (राजस्व व्यय ₹1,740.45 करोड़ और पूँजीगत व्यय ₹4,294.25 करोड़) है, जिसमें केन्द्रीय सहायता के बाहर व्यय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु संघ शासित क्षेत्र अंश सम्मिलित है।

6.26 उचंत शेषों की स्थिति

लघु शीर्ष	31.10.2019 से 31.03.2020 तक			2020-21		
	डे.	क्रे.	निवल (डे./ क्रे.)	डे.	क्रे.	निवल (डे./ क्रे.)
8658-उचंत लेखा-						
101-पीएओ उचंत	14.70	0.24	**14.46 (डे.)**	56.67	0.01	**56.66 (डे.)**
102-उचंत लेखा (नागरिक)	5.51	2.26	**3.25 (डे.)**	47.97	2.44	**45.53 (डे.)**
109-आरबीआई उचंत (एचक्यूआरएस)	0.15	0.05	**0.10 (डे.)**	0.16	0.05	**0.11 (डे.)**
110-आरबीआई उचंत (केंद्रीय लेखा)	0.33	0.42	**0.09 (क्रे.)**	0.91	0.08	**0.83 (क्रे.)**
112-स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस उचंत)	-	221.91	**221.91 (क्रे.)**	-	221.00	**221.00 (क्रे.)**
139-जीएसटी-स्रोत उचंत पर कर कटौती	1.32	0.99	**0.33 (डे.)**	1.02	5.15	**4.13 (डे.)**

6.27 लेखांकन मापदण्डों सहित अनुपालन

भारत सरकार ने सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों (आईजीएएस-1), सरकार द्वारा संवितरित की गई सहायता अनुदानों (आईजीएएस-2) और सरकार द्वारा निर्मित ऋणों और अग्रिमों (आईजीएएस-3) के लेखांकन, वर्गीकरण और प्रकटन हेतु भारतीय सरकारी लेखांकन मानक को अधिसूचित किया है। संघ शासित क्षेत्र सरकार ने प्रकटन हेतु प्रारूप अनुसार पूर्ण ब्योरा प्रदान नहीं किया और अत: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु केवल उपलब्ध सूचना को वार्षिक वित्त लेखा {विवरण संख्या 7, 9, 10 (खण्ड-I), 18,20 और परिशिष्ट-III (खण्ड-II)} में निगमित किया गया है।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2021
www.cag.gov.in

http://www.agjk.nic.in